बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी

कार्य योजना

वर्ष : १९९४-९५

NIEPA DC
D09066
541237
372
BIH-K

- 541237
372
BIH-K

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9066
Date......12-03-97

D 7 5136

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1-3
2.	सीतामढ़ी एक दृष्टि में	4
3.	सीतामढ़ी का मानचित्र	
	(1) परियोजना अच्छादित क्षेत्र 92-93	5
	(2) परियोजना प्रस्तावित क्षेत्र 93-94	6
	(3) परियोजना अच्छादित क्षेत्र 94-95	7
4.	प्राथमिक औपचारिक शिक्षा	
	(I) 93-94 की उपलब्धियाँ	8-10
	(II) 1994-97 अग्रदर्शी योजना	11
	(III) उद्देश्य	13-14
	(I/I) भवन निर्माण	15
	(I/II) ग्राम शिक्षा समिति	15
	(I/III) पाठ्य पुस्तक एवं कीट्स वितरण	17-19
	(I/IV) मोनीटरिंग एवं ईनोलूएशन	20
	(I/V) डुनियादी विद्यालय	21
	(IX) ग्राफ	23-24
	(X) कार्य की प्रक्रिया	25
	(XI) 1994-95 के कार्य योजना की झलक	26
5.	प्रशिक्षण	28-33
6.	अनौपचारिक शिक्षा	34-40
7.	महिला समाख्या	41-47
8.	वातावरण निर्माण एवं लोक भागीदारी	48-51
9.	कमजोरियाँ	52
10.	मजबूतियाँ	53
11.	मूल्यांकन अनुश्रवण एवं अनुसंधान	54-56
12.	अनुसूची	57-63
13.	बजट 94-95	63बी-74

बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी ।

वर्ष १९९४-९५ की कार्य योजना ।

भूमिका :-

बिहार शिक्षा परियोजना बुनियादी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाने एवं उस परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है । इसके माध्यम से समाज के अभिवंचित एवं निःसहाय वर्गों को शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है । चूंकि इस परियोजना का कार्यान्वयन वर्तमान में अवस्थित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में किया जा रहा है जिसमें अनेकों प्रकार की जटिलतायें हैं, इसलिए मूल योजना में निर्धारित की गयी समय सीमा के अंतर्गत शत् प्रतिशत् लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय भी लग सकती है ।

सीतामढ़ी जिले में बिहार शिक्षा परियोजना १-४-९२ को प्रारम्भ की गयी । परियोजना के प्रथम वर्ष में गहन अध्ययन के उपरान्त मूल योजना बनायी गयी थी जिसमें जिले की तत्कालीन शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक परिवेश की उपलब्धि, स्थानीय संसाधन आदि को समावेश किया गया था । परियोजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में जिले के सभी १६प्रखंडों के चयनित दस-दस कलस्टर गांवों में गतिविधियां प्रारम्भ की गयी थी । प्रथम वर्ष में परियोजना के सभी कम्पोनेन्ट में कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की जा सकी । मात्र प्राथमिक औपचारिक शिक्षा, महिला समाख्या एवं वातावरण निर्माण के क्षेत्र में ही कार्य प्रारम्भ हुआ । महिला समाख्या की गतिविधि तो कालान्तर में १२ प्रखंडों में सीमित करनी पड़ गयी क्योंकि शेष चार प्रखंडों में परिस्थितियां ऐसी हो गयी कि कार्य को चलाना संभव नहीं हुआ ।

परियोजना के प्रारम्भिक महीनों में मूलतः कार्य योजना बनाने तथा कार्यान्वयन की दिशा निर्धारण करने में अधिकांश समय व्यतीत हुआ और इसी क्रम में दुर्भाग्यवश माह अक्टूबर में जिला भयंकर साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया जिसके कारण परियोजना के कार्यान्वयन को जबर्दस्त आघात पहुंचा । उसके बाद माह फरवरी, ९३ के बाद इसके कार्यान्वयन को गति देने का प्रयास किया गया परन्तु पुनः माह जुलाई-अगस्त, ९३ में जिले में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण भी जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ और परियोजना के कार्यान्वयन के लगभग दो माह तक गत्यावरोध रहा ।

उपरोक्त आपदाओं के बावजूद भी वर्ष १९९२-९३ में परियोजना जिले में अपना पहचान बनाने में कामयाब हुयी और एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ । अन्य विकास योजनाओं के समन्वय से आधारभूत संरचनाएं;

सृजित करने का प्रयास किया गया ।

वर्ष १९९२-९३ के अनुभव के आधार पर वर्ष १९९३-९४ में परियोजना को आच्छादित क्षेत्र में प्रचार करने में मूल योजना से अनुभव के आधार पर थोड़ा विचलन किया गया था और प्राथमिक औपचारिक शिक्षा में सम्पूर्ण जिले को ले लिया गया । वर्ष १९९३-९४ कन्सोलीडेसन का वर्ष माना गया है इसलिए इस वर्ष में सभी कम्पोनेन्ट के कार्यान्वयन में तेजी लायी गयी है और स्थल पर ठोस परिणाम लाने का प्रयास किया गया है । उसी के फलस्वरुप विभिन्न कम्पोनेन्ट की उपलब्धि लक्ष्य के अनुरुप संभव हो पायी है तथा परियोजना के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक दिशा में कुछ कदम पहल हुयी है ।

वर्ष १९९३-९४ में प्राथमिक औपचारिक शिक्षा कम्पोनेन्ट को प्राथमिकता दी गयी जिससे लोक भागीदारी सुनिश्चित हो सकी है तथा शिक्षक भी संवेदित हुए हैं । लोक भागीदारी का स्पष्ट द्योतक भवन निर्माण एवं मरम्मती, शिक्षण कीट्स वितरण, फर्नीचर निर्माण, अनुदेशक का चयन एवं नियोजन आदि प्रक्रिया में ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका से स्पष्ट होती है ।

वर्ष १९९३-९४ में २०प्रतिशत जन सहयोग से इस जिले में १९४ विद्यालयों का नव निर्माण एवं ५५ विद्यालयों की मरम्मती का कार्य हुआ जिसमें लगभग ६०लाख के जन सहयोग की राशि नीहित है । इतनी बड़ी राशि से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परियोजना के कार्यान्वयन में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित हुयी है जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सार्थक सफलता है ।

विद्यालयों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि, औसत उपस्थिति में सुधार, शैक्षिक एवं भौतिक विद्यालय परिवेश में सुधार, शिक्षकों की मनोवृत्ति में बदलाव, समुदाय की सक्रिय भागीदारी आदि प्रयास ऐसे हैं जिनके बल पर यह सफलता प्राप्त हो सकी है ।

अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में इस जिले में स्वयंसेवी संस्था का अभाव होने के कारण प्रगति धीमी है परन्तु निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप है किन्तु इस जिले का अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में जो अनूठा प्रयास है वह यह है कि यह कार्यक्रम ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चलाया जा रहा है । ग्राम शिक्षा समिति को भी एक स्वयंसेवी संस्था के रुप में तैयार किया जा रहा है । इससे ग्राम शिक्षा समिति अपने को अधिक सशक्त एवं भागीदार महशूश करती है परन्तु उन्हें केन्द्र चलाने के लिए सक्षम बनाने की बहुत अधिक प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होती है ।

शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में पूर्णकालिक डायट एवं उसकी फैकल्टी नहीं होने के कारण कम ही शिक्षकों का प्रशिक्षण हो पा रहा है परन्तु प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी रहे और प्रशिक्षण के उपरान्त

शिक्षकों में दृष्टिकोणीय परिवर्तन आया तथा उनके पढ़ने-पढ़ाने के स्तर में भी नए आयाम जुड़े जिससे न्यूनतम स्तर सुनिश्चित हो सकी । महिला समाख्या के क्षेत्र में, वर्ष १९९२-९३ एवं १९९३-९४ में उन्हीं गांवों में कार्यक्रम चलाया गया दो साल के प्रयास से महिला सशक्त महसूस करती और समूह के माध्यम से अपनी समस्या के निराकरण में काफी हद तक सफल हो रही हैं ।

वर्ष १९९४-९५ के कार्य योजना में वर्ष १९९२-९३ एवं १९९३-९४ के कार्यक्रम के दौरान अनुभव के आधार पर पायी गयी कमियों का निराकरण १९९४-९५ के कार्य योजना में किया जा रहा है । वर्ष १९९४-९५ सशक्त सुदृढ़ीकरण का वर्ष माना जायेगा जिसमें ग्राम शिक्षा समितियों एवं महिला समूह को प्रशिक्षण एवं मोटीभेसन के आधार पर मजबूत और उत्तरदायी बनाने पर बल दिया गया है, जो अंततः सभी कम्पोनेन्ट के कार्यान्वयन में ग्राम स्तर पर तैयार होंगे । परियोजना के प्रबंधन में हर स्तर पर मीशन पद्धति को बल दिया जाएगा। स्वैच्छिक संस्था की भागीदारी प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स आदि का निर्माण कर सुनिश्चित किया जायेगा । प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं एवं पढ़ने-लिखने की सामग्रियों की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से की जा रही है ।

सीतामढ़ी जिला - एक दृष्टि में ।

कुल जनसंख्या - (1981 जनगणना)	2389185
जनसंख्या - पुरूष	1268469
जनसंख्या - महिला	1120716
लिंग अनुपात पुरूष : महिला	1000 : 884
जनसंख्या - अनुसूचित जाति	326740
जनसंख्या - घनत्व	904 /वर्ग कि.मी.
साक्षरता अनुपात	22.9 %
पुरूष	31.9 %
महिला	12.5 %
कुल गावों की संख्या	1041
कुल पंचायत	298
कुल प्रखंड	18
कुल अनुमंडल	3
परिवारों की कुल संख्या	403648
गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या	256445
लघु कृषकों की संख्या	13589
सीमांत कृषकों की संख्या	51236
ग्रामीण कारीगिरी क्षेत्र के अन्तर्गत परिवारों की संख्या	8920
बाल मृत्यु दर (1981)	99 /1000
जन्म दर (1981)	30 /1000
मृत्यु दर (1981)	15 /1000

PROJECT COVERAGE IN THE YEAR '92-'93

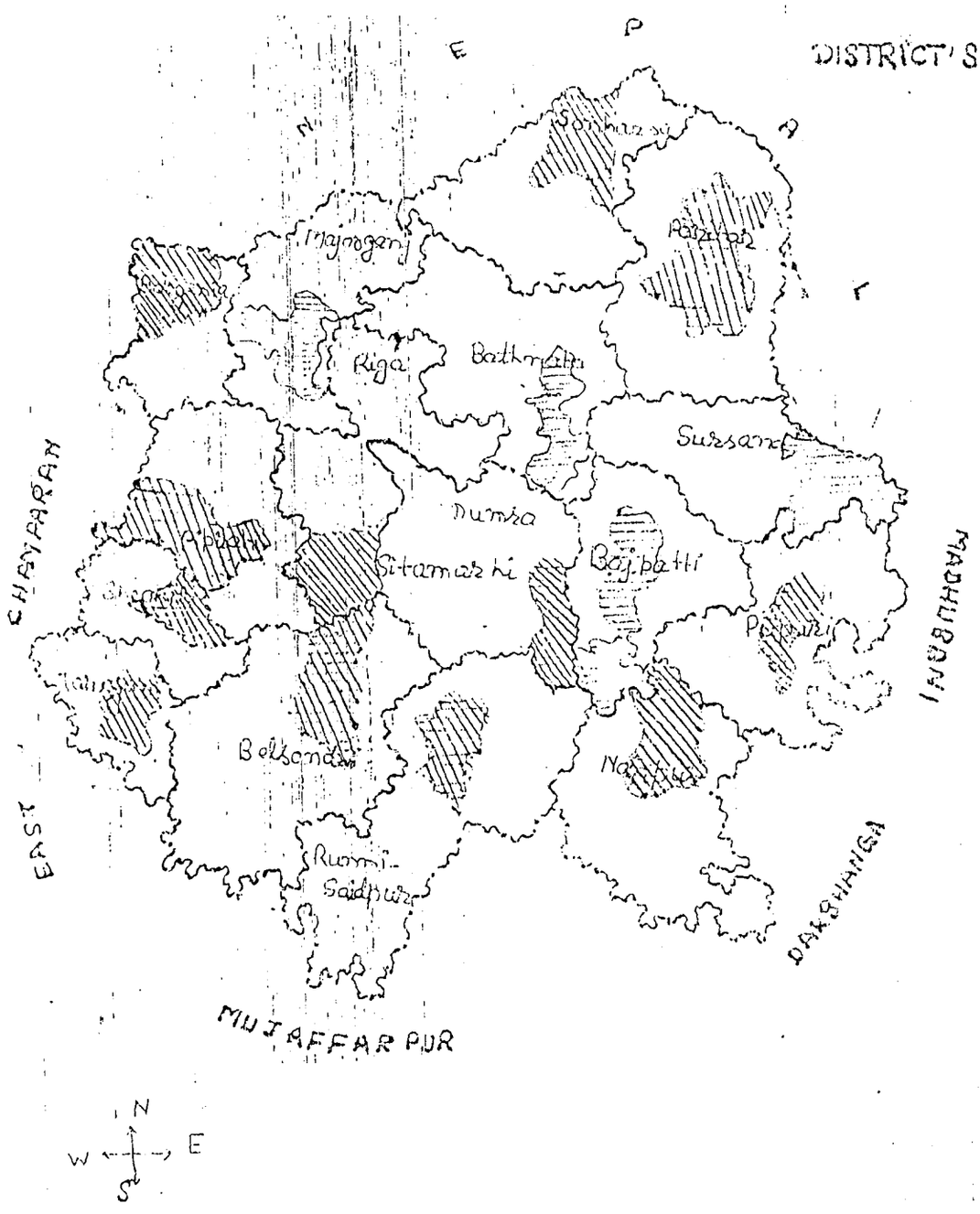

REFERENCE :-

PF

MS

PROJECT COVERAGE IN THE YEAR '93-'94

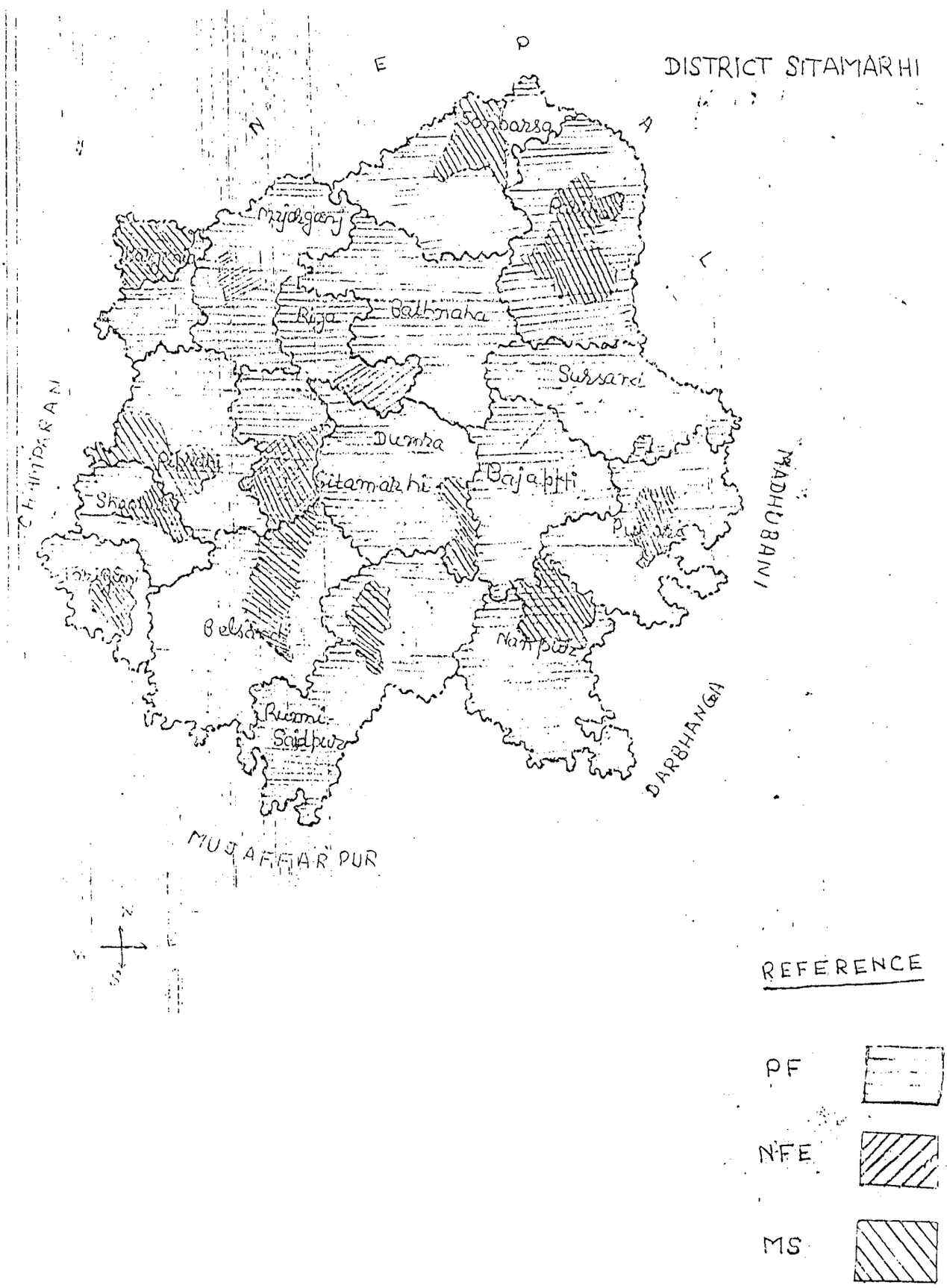

PROPOSED PROJECT-COVERAGE OF '94-'95

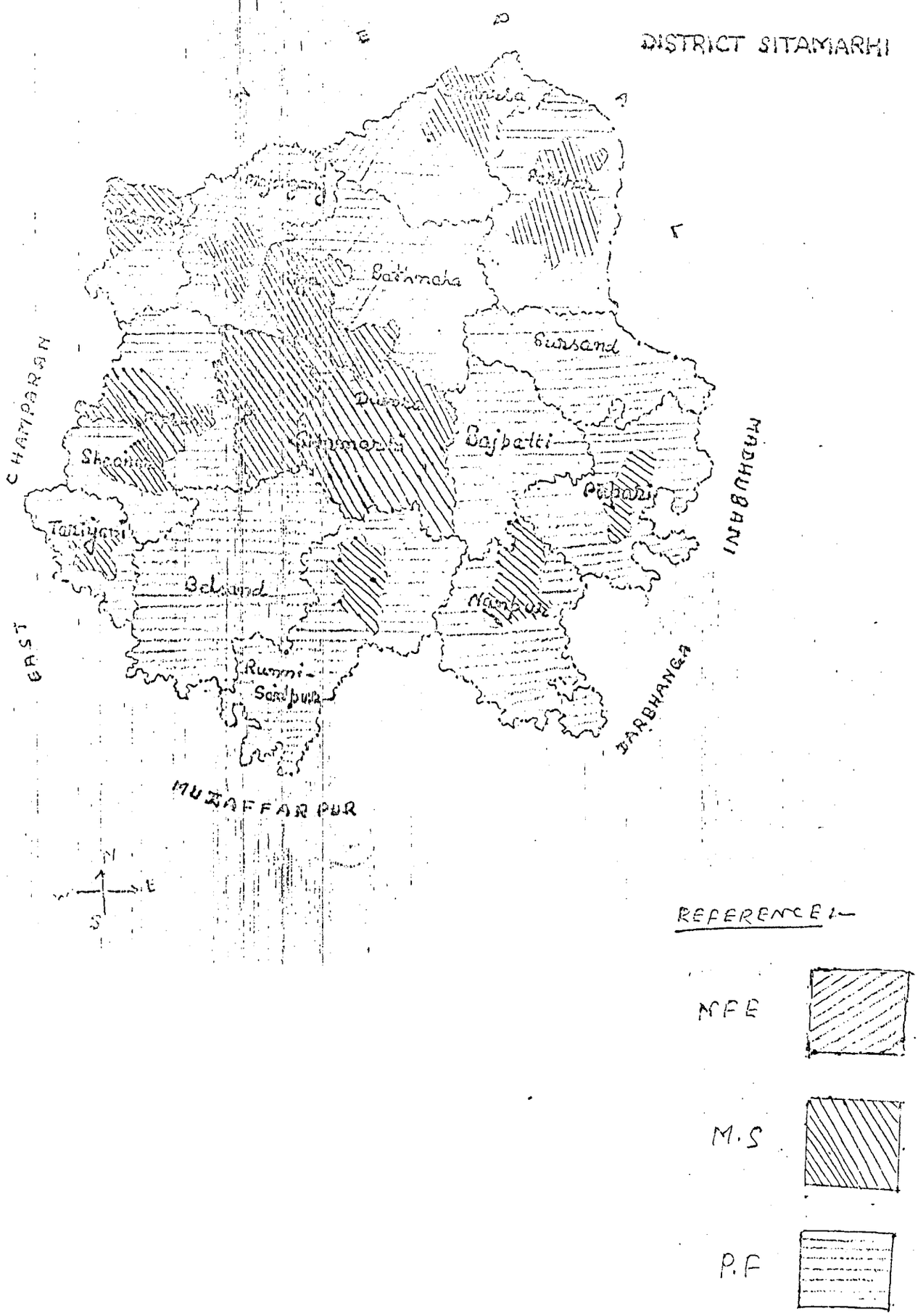

प्राथमिक औपचारिक शिक्षा ।

वर्ष 1993-94 की उपलब्धियाँ

बिहार शिक्षा परियोजना के सम्पूर्ण कार्य योजना में प्राथमिक औपचारिक शिक्षा प्रभाग पर विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि परियोजना के लक्ष्य समूह के अधिकांश लाभार्थी इस प्रभाग के अन्तर्गत आते हैं । प्राथमिक औपचारिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण से ही " प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण " का मार्ग प्रशस्त होता है । सीतामढ़ी जिला की प्रारम्भिक योजना से ही इस प्रभाग के महत्ता के अनुरूप कार्यक्रमों का समावेश किया गया है एवं उत्तरोत्तर इन क्रिया कलापों में गतिशीलता लाने के साथ-साथ अनुभव जनित नये कार्यक्रमों को भी समावेश किया जा रहा है ।

वर्ष 1993-94 में बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी की प्राथमिक औपचारिक शिक्षा की उपलब्धियाँ निम्नप्रकार है :-

§1§ सीतामढ़ी जिले में बिहार शिक्षा परियोजना का प्रादुर्भाव 1अप्रैल 1992 से ही प्रारम्भ हुआ था । परियोजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में जिले के सभी 16 प्रखंडों के 10-10 गाँवों के संकुल का चयन किया गया । जिले के कुल 160गांवों में परियोजना के माध्यम से प्राथमिक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में नामांकन वृध्दि, छीजन दर में कमी एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने का प्रयास किया गया था । परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व एवं पश्चात् छात्र एवं छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार रही :-

	सामान्य		अनु0 जाति		योग		कुल योग	
	छात्र	छात्रा	छात्रे	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
मार्च91-	131178	55920	17031	5478	149211	59898	209109	
मार्च92-	143118	63882	20496	7585	163684	71397	235081	
मार्च93-	164913	77248	29685	12091	194598	89339	283937	

वर्ष 1991, 1992 एवं 1993 में क्रमशः 209109, 235081 एवं 283937 रही है । इस प्रकार बिहार शिक्षा परियोजना लागू होने के बाद 12.4% एवं 1992 की तुलना में 1993 में 20.7% की वृध्दि हुयी है ।

2- परियोजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में ही विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में वृहत् पैमाने पर विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य लिया गया । परियोजना के कार्यान्वयन में यह महसूस किया गया कि इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए इसके कार्यान्वयन के हर चरण में स्थानीय जन समुदाय की भागीदारी नितान्त आवश्यक है एवं तद्नुसार उसी पृष्ठभूमि में विद्यालय भवनों के निर्माण में भी 20प्रतिशत अंशदान के रूप में स्थानीय ग्रामीण समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करके वृहत् पैमाने पर विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य करवाया गया । इस भवन निर्माण कार्यक्रम में जनसहयोग के रूप में 20प्रतिशत के बराबर न सिर्फ सहयोग ही प्राप्त हुआ अपितु इससे एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ । जनसाधारण के मन में यह भावना विकसित हुयी कि यह विद्यालय उनका अपना है और इसकी देखभाल उन्हें स्वयं करनी है। इस योजना के अंतर्गत 93-94 में कुल 249 योजनायें ली गयी थी जिसमें 194 नव निर्माण एवं 55 मरम्मति की योजना थी जिसकी प्राक्कलित राशि 29575477/= रूपये थी जिसका 20प्रतिशत यानि 5915095/=रूपये जिले के ग्रामीणों के द्वारा जनसहयोग के रूप में उपलब्ध करवाया गया है । इसके अतिरिक्त स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी भूमि दानस्वरूप उपलब्ध करवायी गयी है । नव निर्माण का कार्य 194 विद्यालयों में से 155 विद्यालयों में पूर्ण हो चुका है तथा शेष का इस वित्तीय वर्ष के अंत में पूर्ण हो जायेगा । इसी प्रकार मरम्मति में 45 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेगा ।भवनहीन विद्यालय एवं बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा भवन निर्माण के पश्चात् छात्र

§2§

संख्या में संवंधित विद्यालय में 25% की वृध्दि हुयी, जो ग्राफ से स्पष्ट है ।

3- इसी क्रम में लगभग 93 विद्यालयों में अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वयक स्थापित करके पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु विद्यालयों में चापाकल गड़वाए गए ।

4- 310 विद्यालयों में जन प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत सहयोग से श्याम पट्ट की व्यवस्था करवायी गयी ।

5- 93 विद्यालय में जवाहर रोजगार योजना से समन्वयक स्थापित करके शौचालय का निर्माण करवाया गया ।

6- जिले के नामांकित सभी छात्राओं एवं अनुसचित जाति के छात्रों को 1,04,000 शिक्षण कीट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है । चयनित 640विद्यालयों में पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, इनोभेटिव स्कूल सामग्री, बैठने हेतु चटाई की व्यवस्था करवायी जा रही है ।

7- नामांकन अभियान के क्रम में जिले के सभी गांवों के ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक के साथ 60 स्थानों पर कार्यशालायें आयोजित की गयी । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी चार कार्यशाला आयोजित की गयी ।

8- शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के 32 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया ।

9- सभी विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक की पदस्थापना हुआ है। कोई विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है । 31 जुलाई 1993 तक जो शिक्षक अवकाश प्राप्त कर चुके थे और जिनका उपादान, अर्जितावकाश, ग्रुपबीमा की राशि का भुगतान नहीं हुआ था उन्हें 5सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आदेश पत्र दिया गया ।

10- शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गयी।

11- शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये । शिक्षकों की उपस्थिति नियमित हुयी है एवं लोगों का विश्वास बिहार शिक्षा परियोजना के प्रति बढ़ा है ।

12- नौ प्रखंडों के चयनित विद्यालयों की शिक्षा समितियों के अध्यक्ष/ अभिप्रेरक का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है ।

13- उपस्कर की आपूर्ति हेतु विद्यालय प्रधान एवं ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से कराया जा रहा है ।

14- विद्यालयों की निरीक्षण की नियमित व्यवस्था एवं निरीक्षण का उद्देश्य सुधारात्मक रखा जाय ।

15- न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत 100 विद्यालयों में शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं पूर्व परीक्षण ।

16- गुरु गोष्ठी की नियमित व्यवस्था एवं इससे शिक्षकों के शिक्षण कौशल एवं विधि में सुधार हेतु प्रयास ।

17- शिक्षक संघों के साथ बैठक एवं उनके माध्यम से शिक्षकों को प्रेरित करने हेतु प्रयास अभिवंचित वर्ग/नारी शिक्षा में शिक्षकों का दायित्व पर कार्यशाला ।

18- परिपत्रों के माध्यम से शैक्षणिक एवं पराशैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु विद्यालयों को दिशा-निर्देश, पाठ्यक्रम एवं पाठयोजना की आपूर्ति।

वर्ष 1993-94 के मुख्य क्रियाकलाप एवं उपलब्धि

क्रिया कलाप का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1. कार्यशालाएँ	10	5
2. बेंच मार्क सर्वे	16	1
3. शिक्षक संगठनों के साथ बैठक		
4. नामांकन अभियान हेतु कार्यशाला	33	16
5. ग्राम शिक्षा समिति का गठन (कार्यरत)	640	640
6. विद्यालय इनोवेटिव की आपूर्ति	640	-
7. खेल सामग्री की आपूर्ति	640	-
8. छात्राओं में शिक्षण कीट्स का वितरण	69700	67063
9. अनुसूचित जाति के छात्रों में शिक्षण कीट्स वितरण	38366	25492
10. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	2000	1710
11. विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों का ओरिऐन्टेशन	4	-
12. विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना	640	-
13. भवन निर्माण	170	155
(ख) भवन मरम्मति	55	55
(ग) शौचालय	50	100
(घ) विद्यालयों में फर्नीचर की आपूर्ति	300+340	640
14. ब्लैक बोर्ड निर्माण	640	640
15. शिक्षकों को पुरस्कार	26	32

प्राथमिक औपचारिक शिक्षा में कार्यक्रमों की विशेषता

1. भवन निर्माण में ठीकेदारी प्रथा का अंत ।
2. ग्राम शिक्षा समिति को पुनर्गठन कर प्रशिक्षण के माध्यम से सक्रिय बनाना ।
3. बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यक्रमों में प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता ।
4. प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों की कार्यशैली में गुणात्मक सुधार ।
5. विद्यालय फर्नीचर का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ।
6. मुसहर बस्ती में विद्यालयों की स्थापना ।
7. छात्रों की अनुपात में शिक्षक भर्ती का पुनर्वितरण ।
8. कर्त्तव्य-निष्ठ शिक्षकों को सम्मान ।
9. समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु पहल ।

वर्ष 1994-97 का प्रोस्पेक्टिभ प्लान

बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी जिले में वर्ष 1992 में प्रारम्भ हुयी जो वर्ष 1997 तक चलेगी । पिछले दो वर्षों का प्रगति के आधार आगामी तीन वर्षों का प्रोस्पेक्टिभ प्लान बनाया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे/बच्चियों का शत् प्रतिशत नामांकन वित्तीय वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है ।

प्रस्तावित लक्ष्य वित्तीय वर्ष 1994-95 लड़का 2,33,520 लड़की 1,34,011
वित्तीय वर्ष 1995-96 लड़का 2,51,562 लड़की 1,98,592
वित्तीय वर्ष 1996-97 लड़का 2,71,036 लड़की 2,27,180

इस वर्ष के अनुमानित आँकड़ों के आधार पर इस जिले में 285541 छात्र एवं 228264 छात्राएँ 6 से 14 वर्ष के हैं, जिसमें से 194593 छात्र एवं 89337 छात्राएँ वर्ष 1993 में नामांकित हो गए हैं एवं वर्ष 1994-95 में 233520 छात्र एवं 134011 छात्राएँ को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 1995-96 में जिले के 8 प्रखंडों में शत् प्रतिशत नामांकन हासिल किया जायगा तथा परियोजना के कार्यान्वयन के अंतिम वर्ष में सम्पूर्ण जिले में शत् प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जायगा ।

वर्ष 1994-95 में जिले के एक चयनित प्रखंड रीगा में शत् प्रतिशत नामांकन के लिए चुना जा रहा है, जिसमें 90 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ को औपचारिक शिक्षा के माध्यम से 6 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से एवं शेष छात्राओं को प्राईवेट विद्यालयों के माध्यम से आच्छादित करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जायगा । आगामी वर्ष में जिले के शेष 9 प्रखंडों में अनौपचारिक शिक्षा चलाए जायेंगे तथा उनके अतिरिक्त प्रखंडों में राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जायगा । वर्ष 1995-96 में बिहार शिक्षा परियोजना से जिले के निम्नांकित प्रखंडों में अनौपचारिक शिक्षा एवं प्राईवेट विद्यालयों के माध्यम से शत् प्रतिशत नामांकन किया जायगा ।

वर्ष 1995-96 में शत् प्रतिशत नामांकन हासिल किये जाने के लिए चयनित प्रखंड होगा (1) डुमरा (2) बथनाहा (3) सोनबरसा (4) परिहार (5) सुरसंड (6) नानपुर (7) तरियानी (8) डुमरी कटसरी

वर्ष 1996-97 में शत प्रतिशत नामांकन के लिए (1) रून्नीसैदपुर (2) बेलसण्ड (3) पिपराढ़ी (4) पुरनहिया (5) मेजरगंज (6) बैरगनिया (7) पुपरी (8) बाजपट्टी (9) शिवहर

जिले में वर्त्तमान में भवनहीन विद्यालयों की संख्या 245 है, जिसकी सूची संलग्न है । वर्ष 1994-95 में 150 भवनहीन विद्यालयों में नया भवन उपलब्ध करवाया जायगा तथा वर्ष 1995-96 में शेष भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों को भवन उपलब्ध करवाया जायगा । वर्ष 1994-95 में 100 प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मति भी करवाने का लक्ष्य है तथा 95-96 में भी 100 प्राथमिक विद्यालयों के भवन की मरम्मति करवायी जायगी । वर्ष 1996-97 में मध्य विद्यालयों में आवश्यकतानुसार भवन उपलब्ध करवाया जायगा ।

जिले के सभी विद्यालयों में पीने के पानी की सुनिश्चित व्यवस्था से इसी वर्ष के अंत तक कर दी जा रही है ।

जिन विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य करवाया जायगा उनमें शौचालय निर्माण भी संबंधित वर्ष में करवाया जायगा । जवाहर रोजगार योजना से ऐसे मध्य विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कार्य करवाया जायगा जिनमें छात्राओं की संख्या पर्याप्त है ।

इस वर्ष जिले के 640 चयनित विद्यालयों में पुस्तकालय, इनोवेटिव स्कूल सामग्री एवं पानी की व्यवस्था की जा रही है । वर्ष 1994-95 में 323 प्राथमिक विद्यालयों में इन सामग्रियों की व्यवस्था की जायगी तथा उसके बाद के

वर्ष में सभी मध्य विद्यालयों में इन सामग्रियों की व्यवस्था की जायगी ।

नामांकन के उपरोक्त निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने एवं छीजन दर को कम करने के प्रयोजन से शिक्षण कीट्स जिले के सभी विद्यालयों में सभी सालों में उपलब्ध करवाया जायगा तथा जिले की अर्थ व्यवस्था को देखते हुए यह भी प्रस्ताव है कि सभी जाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण कीट्स उपलब्ध करवाया जाय ।

न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रमों को सम्पूर्ण जिला के विद्यालयों में लागू किया जायगा । न्यूनतम अधिगम स्तर परीक्षण हेतु शिक्षकों में इस प्रकार दक्षता विकसित की जायगी कि वे स्वयं प्रश्न पत्र तैयार करें एवं मूल्यांकन करें ।

वर्ष 1997 तक इस जिले के सभी विद्यालयों के शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रशिक्षित कर दिया जायगा, तथा परियोजना का कार्य समाप्त होने तक ग्राम शिक्षा समिति के इतना सुदृढ़ योग्य एवं प्रेरित कर दिया जाय ताकि वे अपने स्तर से प्राथमिक शिक्षा की सुदृढ़ीकरण का कार्य यथावत् जारी रखा सके ।

==========

§6§

प्राथमिक औपचारिक शिक्षा
कार्य योजना-1994-95.

उद्देश्य:-

जिले में चयनित एक प्रखंड रीगा में प्राथमिक औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सत् प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना ।

§2§ जिले में शेष प्रखंड में छात्रों का नामांकन बाल पंजी के अनुसार बालक नामांकन 90 प्रतिशत एवं बालिकाओं का नामांकन 60 प्रतिशत सुनिश्चित करना ।

§3§ प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत सुनिश्चित करना और छात्राओं की उपस्थिति 60 प्रतिशत सुनिश्चित करना। उर्ध्व छीजन दर 10 प्रतिशत हो, ऐसी व्यवस्था करना ।

§4§ चयनित एक सौ विद्यालयों को न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्ति सुनिश्चित करना ।

§5§ चयनित विद्यालयों में परीक्षा की नयी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

§6§ अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कियों के नामांकन पर विशेष बल ।

§7§ शैक्षणिक एवं अन्य विद्यालय आधारित गतिविधियों में ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

§8§ वर्ष 1994-95 में प्राथमिक औपचारिक विद्यालय की गतिविधियों जिले के शेष सभी 723 प्राथमिक विद्यालयों में लागू होगी । दूसरे शब्दों में वर्ष 94-95 के लिए इस जिले में 723 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया जायगा। इसमें से 287 प्राथमिक विद्यालयों पूर्व से ही औपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत चयनित है । इन 287 विद्यालयों में वे सभी सामग्रियाँ नहीं दी जायेगी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहद प्राप्त है ।

§9§ यद्यपि अभी तक मध्य विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु समावेशित नहीं करने का निर्णय है लेकिन निम्न कारणों से मध्य विद्यालय को समावेशित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है :-

§क§ इन सभी मध्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है ।

§ख§ऐसे मध्य विद्यालय के आस-पास कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है इसलिए ऐसे मध्य विद्यालय के क्षेत्र में पड़ने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चे/बच्चियों किसी शिक्षण संस्था में नामांकित है और यदि इसे बिहार शिक्षा परियोजना के तहत चयनित नहीं किया जायगा तो उन छात्र/छात्राओं को परियोजना के लाभों से वंचित होना पड़ेगा, जिसके कारण मध्य विद्यालय के आच्छादन क्षेत्र में पड़ने वाले परिवारों में परियोजना के प्रति निराशा की भावना उत्पन्न हो जायगी जो प्रतिकूल वातावरण को जन्म देगी ।

§ग§ चूँकि मध्य विद्यालय में तुलनात्मक शिक्षकों की संख्या अधिक होती है, शिक्षक विषयानुसार एवं वर्गानुसार रहते हैं तथा उच्च कक्षाएँ होने के कारण ऐसा भी पाया गया है कि उच्च कक्षा में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके छोटे भाई बहन भी उनके साथ आते हैं, जिसके कारण मध्य विद्यालयों में छीजन का दर कम होता है जो विद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों से भी परिलक्षित होता है । अतः किसी भी स्थिति में मध्य विद्यालयों को परियोजना के लाभों से वंचित रखना उचित नहीं होगा ।

§घ§ प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के बीच शिक्षकों का स्थानान्तरण संभव है । अतः दोनों विद्यालयों के शिक्षक एक ही कैडर के होते हैं, इसलिए यदि मध्य विद्यालय को चयनित नहीं किया जायगा तो उन मध्य विद्यालय के शिक्षक कालान्तर में प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरित होंगे जो अप्रशिक्षित रहेंगे जो परियोजना के हित में नहीं है ।

§ङ§ चूँकि मध्य विद्यालय तुलनात्मक पुरानी संस्थायें हैं ,इसलिए ग्रामीण समुदाय का मध्य विद्यालय के प्रति अधिक लगाव रहता है । मध्य विद्यालयों के पास जमीन भी अधिक होती है, विद्यालय का परिवेश तुलनात्मक बेहतर होता है, तुलनात्मक अधिक योग्यताधारी शिक्षक पदस्थापित रहते हैं, इसलिए मध्य विद्यालय का चयन करना भी अनिवार्य है, लेकिन बिहार शिक्षा परियोजना के जो लाभ हैं, वे मध्य विद्यालय के प्रशिक्षण तक ही सीमित रखा जा सकता है।

§10§ जिले के सभी चयनित विद्यालयों को गुणवत्तायुक्त पढ़ाई हेतु सुसज्जित करना ।

§11§ प्रस्तावित कार्य योजना के कार्य विन्दु निम्न प्रकार होंगे :-

§क§ नामांकन को एक अभियान के रूप में चलाया जायगा और इसके दौरान जिले में सभी प्रखंडों में शिक्षक,अभिभावक, शिक्षा प्रेमी एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठकें कुल 60 स्थानों पर आयोजित की जायेगी ।

§ख§ अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के नामांकन हेतु अल्पसंख्यक बहुल आवादी वाले प्रखंडों में प्रभावशाली एवं वरिष्ठ प्रतिनिधियों की कर्मशाला आयोजित की जायेगी ।

§ग§ शिक्षकों व्दारा बाल पंजी का निर्माण एवं सम्पर्क सूची का निर्माण करना ।

§घ§ बाल पंजी की संख्या के आधार पर विद्यालय के क्षेत्र को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों के बीच परिवार-वार बाँटना एवं आवंटित क्षेत्रों के छात्र- छात्राओं के नामांकन की जिम्मेवारी सुनिश्चित करना ।

§ङ§ शिक्षा यात्रा का आयोजन- महत्वपूर्ण दिवसों यथा 26 जनवरी, 15 अगस्त,5 सितम्बर एवं 14 नवम्बर शिक्षा यात्रा का आयोजन किया जायेगा ।

§च§ प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करना:- जिसमें प्रत्येक प्रखंड में एक नामांकन अभियान के दौरान एवं दूसरा अगस्त सितम्बर में छात्रों एवं छात्राओं का छीजन रोकने के लिए की जायेगी । जिला स्तर पर भीदो-दो कुल चार कार्यशाला आयोजित करने का लक्ष्य है ।

§छ§ नियमित रूप से गुरु गोष्ठी का आयोजन एवं शैक्षणिक समस्याओं का प्रभावकारी निराकरण शिक्षण विधि एवं कौशल में तथा दक्षता में वृध्दि हेतु न्यूनतम दक्षता वृध्दि का ज्ञान आदर्श पाठों की व्यवस्था तथा शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा साथ ही शिक्षकों की समस्या हेतु महीने में कम से कम एक बार शिक्षा शिविर का आयोजन जिला स्तर पर सप्ताह में एक बार किसी खास प्रखंड के सभी समस्याओं का निदान गुरुगोष्ठी को सुदृढ़ीकरण करने, शिक्षक स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु प्रयास किया जाएगा । इसके तहत सभी प्रखंडों के प्रत्येक गुरु-गोष्ठियों में सामान्य प्रशासन के अधिकारियों को भेजा जाएगा ।

§ज§ जिला शिक्षा स्थापना समिति की हर महीने में नियमित बैठक सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक ईकाई का पुनर्निधारण करना एवं प्रत्येक विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित करना ।

§झ§§ए§जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति की बैठक साल में कम से कम दो बार आयोजित करना और उसमें शिक्षकों की ईकाई के संबंध में विचार करना। भूमिहीन विद्यालयों को बन्द करना । वैसे विद्यालयों को नजदीक के विद्यालयों में मिलाने पर विचार करना जिसमें छात्र-उपस्थिति कम है तथा जिनकी उपयोगिता नहीं है ।

§बी§जिन अभिवंचित वर्ग के टोला में विद्यालय नहीं है, वहाँ विद्यालय खोलने एवं विद्यालय के लिए भूमि प्राप्त करना ।

§सी§शिक्षक ईकाई का समायोजन तथा नये विद्यालय खोलने एवं अनौपयोगी विद्यालयों को बन्द करने की शक्ति जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति

को होना चाहिए और उसका निर्णय अंतिम होना चाहिए । अर्थात् ऐसे मामले में निर्देशालय की शक्तियाँ जिला कार्यकारिणी समिति को प्रत्यायोजित कर दिया जाना चाहिए ताकि जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति के निर्णयों के अनुमोदन एवं कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके ।

§ठ§ पिछले वर्ष 640 विद्यालयों को इनोभेटिभ स्कूल सामग्री, खेलकूद सामग्री, उपस्कर आदि के लिए चयनित किया गया था । इस कार्य योजना में शेष 723 प्राथमिक विद्यालयों को इन सुविधाओं हेतु चयनित किया जा रहा है । इनमें से 245 विद्यालय अभी भी भवनहीन है, परन्तु इस कार्य योजना के अनुसार इन विद्यालयों में भवन निर्माण को भी प्रस्ताव है । इसमें वैसे विद्यालयों को समावेशित नहीं किया गया है जिसके पास भूमि नहीं है । ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत जो विद्यालय चयनित हैं, उनमें सभी सामग्रियाँ नहीं दी जायेगी जो उन्हें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत चयनित है ।

§ड§ बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा आपूर्ति की जाने वाले सामानों के रख-रखाव की जवाबदेही संबंधित ग्राम शिक्षा समिति की होगी ।

भवन निर्माण :-

जिले में 1993-94 तक हुए भवन निर्माण के अलावे 150 भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण कराया जाएगा तथा 150 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों को मरम्मति का लक्ष्य है । यह पाया गया है कि भवनहीन विद्यालयो में भवन निर्माण कराया गया है उसमें नामांकन में पर्याप्त वृध्दि हुयी है ।

सीतामढ़ी नगरपालिका क्षेत्र एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय की स्थिति चिन्ताजनक है । मध्यमवर्गीय एवं उच्चवर्गीय आय वाले नागरिक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में सशुल्क पढ़ा लेते हैं किन्तु निर्धन एवं निर्धनतम परिवार के बच्चों प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । उनका कार्य सिर्फ घूम-घूम कर रद्दी सा ों को इकट्ठा करना या बाल श्रमिकों के रूप में किसी के परिवार में नौकरी करना रह जाता है ।

आश्चर्य है कि ये निर्धन परिवार के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, जबकि ये ही ही सम्पन्न घराने का घरेलू नौकर की हैसियत से उनके बच्चों का झोला लेकर उन्हें विद्यालय पहुँचाते हैं तथा पुनः घर लाते हैं । बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी इन वर्गों के मनोदशा को देखते हुए 1994-95 में अपनी कार्य योजना में शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चयन करने की योजना बनाई है ।

भूमि की अनुपलब्धता को देखते हुए न क्षेत्रों के भूमि-हीन विद्यालयों को भवन युक्त विद्यालयों में विलयन कर शिक्षण कार्य को पाली व्यवस्था के अनुरूप चलाने की व्यवस्था करने की योजना बनाई है । भूमि वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

शहरी क्षेत्रों में वातावरण का निर्माण कर ऐसे मुहल्ले चिन्हित किये जायेंगे तथा उनके बच्चों के शिक्षण व्यवस्था के लिए विशेष उपलब्ध किये जायेंगे।

इसके लिए शहरी क्षेत्रों के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों, बुध्दिजिवियों एवं समाजसेवीयों के साथ कर्मशाला का आयोजन कर इसे मुर्त्त रूप देने का प्रस्ताव है।

ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम शिक्षा समिति, बिहार शिक्षा परियोजना का मेरुदण्ड है । सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्त्तन के किसी भी प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के कितने बड़े भाग का भावनात्मक सम्बन्ध इन प्रयासों से जुड़ पाता है। शिक्षा परियोजना के लिए यह और भी आवश्यक है कि समाज में विश्वास और आस्था उत्पन्न हो, परियोजना के साथ समाज के सृजनशील व्यक्तियों का चिंतन एवं समझ-बूझ जुड़े और वैसे भी व्यक्ति तथा संस्थाएँ जिनका परियोजना

को सफल बनाने में सहयोग आवश्यक है, उनके साथ तालमेल सुनिश्चित किया जाय ।

बिहार शिक्षा परियोजना में लोकभागीदारी को सुनिश्चित स्वरुप दिया गया है और यह स्वरुप ग्राम शिक्षा समिति के रुप में प्राप्त होता है । आज बिहार शिक्षा परियोजना में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण हो गई है क्योंकि :-

§क§ ग्राम शिक्षा समिति, औपचारिक शिक्षा के लिए
§ख§ग्राम शिक्षा समिति अनौपचारिक शिक्षा के लिए
§ग§ ग्राम शिक्षा समिति वातावरण निर्माण के लिए
§घ§ग्राम शिक्षा सतिति महिला जागृति के लिए

इस प्रकार ग्राम शिक्षा समिति बिहार शिक्षा परियोजना की सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक हो गया है । बिहार शिक्षा परियोजना,सीतामढ़ी यह चाहती है कि परियोजना समाप्त होने तक ग्राम शिक्षा समिति को इतना सुदृढ़ योग्य एवं प्रेरित कर दिया जाय ताकि वे अपने स्तर से गतिविधियों को परियोजना समाप्ति के बाद चालू रख सके ।

1994-95 की कार्य योजना में इसकी मजबूती एवं बिहार शिक्षा परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इनकी गतिविधियों को सक्रिय करने पर बल दिया जा रहा है ।

वर्ष 1993-94 तक इस जिले के कुल 640 ग्राम शिक्षा समितियाँ हैं, जिनमें 640 अध्यक्ष एवं 640 अभिप्रेरक,ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की कुल संख्या 9,600 है ।

वर्ष1994-95 में इस जिले के 723 प्राथमिक विद्यालयों को बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चयनित किया जा रहा है । इसलिए 723 ग्राम शिक्षा समितियाँ होंगी ।

गठन :-
=======

§1§ नये ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरक एवं सक्रिय सदस्यों की पहचान ·

इसके लिए अगल-बगल के विद्यालयों की ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षित सक्रिय सदस्यों की सहायता से नये समिति के अभिप्रेरक एवं सदस्यों की पहचान की जायेगी ।

§2§ अभिप्रेरक हेतु कार्यशाला:-

इस जिले के सभी 18 प्रखंडों में एक-एक दिन की कार्यशाला आयोजित की जायेगी,जिसका वित्तीय भार बिहार शिक्षा परियोजना को वहन करना होगा ।

§3§ पूर्व की समिति के अध्यक्ष एवं अभिप्रेरकों के साथ नियमित मासिक बैठक

बिहार शिक्षा परियोजना की गतिविधियों से ग्राम शिक्षा समिति को नियमित रुप से अवगत कराना होगा तथा ग्राम शिक्षा समिति के विचारों एवं कार्यों से भी सतत् अवगत होना होगा ।

§4§ प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यदल एवं प्रखंड कार्य समूहों का गठन :-

बिहार शिक्षा परियोजना की इ गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रखंड स्तर पर इसकी अपनी ईकाई होना आवश्यक है जिसका गठन किया जाएगा तथा इसलिए इसके लिए वित्तीय व्यवस्था किया जाना आवश्यक है ।

ग्राम शिक्षा समिति की कार्य योजना को प्रत्येक तिमाही में बाँटकर लागू की जाएगी :-

प्रथम तिमाही :-
=============

प्रथम चरण में सभी नये ग्राम शिक्षा समिति का गठन
ख- प्रखंड स्तरीय कार्यशाला
ग- 181 ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण
घ- प्रत्येक माह पुराने ग्राम शिक्षा समिति के साथ रिफ्रेशर बैठक
ङ- एक प्रखंड रीगा में कार्यदल का गठन ।

द्वितीय चरण:-
==========

{1} 18। ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों की पहचान बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा तत्पश्चात् प्रशिक्षण।

2- प्रखंडों में कार्यदल का गठन एवं प्रशिक्षण

3-जिला स्तर पर कार्यशाला

4-रिफ्लेक्शन बैठक प्रतिमाह

तृतीय चरण:-
===========

1-18। ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों की पहचान एवं प्रशिक्षण

2-7 प्रखंड कार्यदल का गठन एवं प्रशिक्षण

चतुर्थ चरण:-
========

1-शेष सभी ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों की पहचान एवं प्रशिक्षण।

2-शेष सभी प्रखंडों में कार्यदल का गठन एवं प्रशिक्षण

पाठ्य पुस्तक का वितरण:-
=====================

सीतामढ़ी जिले में 1994 में बाल पंजी के अनुसार कुल 486976 छात्र/छात्रायें 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के होंगे, जिसमें संभावित होने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या 72850 के करीब होंगे एवं इसमें से कुल नामांकित छात्र/छात्राओं में से 21906। छात्र/छात्राओं को शिक्षण कीट्स वर्तमान निदेशों के आलोक में दिया जायेगा तथा 189723 छात्र/छात्राओं को शिक्षण कीट्स नहीं दिया जायेगा परन्तु अनुभव के आधार पर ऐसा महसूस किया गया है कि निम्नांकित कारणों से जिले के सभी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं के सभी छात्र-छात्राओं को शिक्षण कीट्स दिया जाना चाहिए :-

1{विद्यालय के कक्षाओं में सभी जाति के छात्र-छात्राओं एक साथ बैठते हैं। उनमें से यदि किसी सामान्य जाति के छात्र को पुस्तक नहीं मिलती है और उसके बगल में बैठे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को एवं सामान्य जाति के छात्राओं को पुस्तक मिलती है तो स्वतः दिमागी विश्लेषण के उपरान्त जातीयता की भावना को बल मिलेगा और उस छोटे बच्चे के दिमाग में जातिवाद की भावना, सामाजिक भेदभाव की भावना पनप जायेगी जो बिहार शिक्षा परियोजना के व्यापक हित में नहीं है।

2{इस जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवारों की संख्या कुल संख्या 67 प्रतिशत है। इन परिवारों के बच्चे भी असहाय परिवार के बच्चे हैं जिसमें से अधिकांश भूमिहीन, मजदूर श्रेणी के होते हैं। इसलिए उन्हें यह लाभ देना आवश्यक है।

3{अनुसूचित जाति के अलावे भी अनेकों ऐसी जातियाँ है जिनका आर्थिक स्तर अनुसूचित जाति जैसा ही है जैसे खातवे, नुनिया, ततमा बिन्द{मल्लाह}, हजाम आदि।

4{ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे परिवार जो आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम हैं वे अपने बच्चों को शहर के विद्यालयों में पढ़ाते हैं अर्थात् सरकारी विद्यालयों में मात्र वैसे ही अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाते हैं जो आर्थिक स्थिति से विपन्न होते हैं। जिले के चयनित

तीन विद्यालयों के सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया कि जिस वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षण कीट्स मिल रहा है उसके नामांकन में तुलनात्मक अधिक वृध्दि हुयी है ।

5§नामांकन अभियान के दौरान जहाँ भी कार्यशाला आयोजित की जाती है उसमें शिक्षक अभिभावक एवं ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह बात उठायी जाती है कि सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षण कीट्स उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ।अतः इस कार्य योजना में सभी जाति के लोगों के बच्चों को शिक्षण कीट्स उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

6§विकल्प के तौर पर यदि निधि की उपलब्धता नहीं होती है तो वैसी स्थिति में प्रत्येक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा से संबंधित शिक्षण कीट्स की कम से कम पाँच-पाँच सेट पुस्तकालय मद में उपलब्ध करवाया जाना चाहिए जिन्हें ग्राम शिक्षा समिति एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय के निर्धनतम एवं मेधावी छात्रों को उपलब्ध करवाया जायेगा जो साल के अंत में विद्यालय पुस्तकालय में जमा कर देंगे ।

तत्काल यह निदेश निर्गत किया गया है कि पिछले वर्ष दी गयी पुस्तकें वापस कर पुस्तक कोष§बुक बैंक§ की स्थापना की जाय जिससे ग्राम शिक्षा समिति शिक्षुओं को मेधा एवं गरीबी के आधार पर वितरित कर सके । इन पुस्तकों को कर आपूर्ति की जाय अथवा जिला स्तर पर बाइन्डिंग हेतु राशि का प्रावधान किया जाय ।

स्कूल ड्रेस

सभी विद्यालयों के छात्र/छात्राओं की अलग-अलग निर्धारित ड्रेस होनी चाहिए । छात्रों के ड्रेस में खाकी नेकर एवं सफेद कमीज तथा छात्राओं के ड्रेस में नीली स्कर्ट एवं सफेद शर्ट का प्रावधान किया जायेगा । परियोजना से यद्यपि ड्रेस उपलब्ध करवाने का निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन इसकी आवश्कता महसूस की जा रही है । ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से प्रयास किया जायेगा कि सभी विद्यालयों में इस निर्धारित ड्रेस के मुताविक अभिभावक इसे स्वयं करें । अभिभावकों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से इस प्रकार अभिप्रेरित किया जायेगा कि स्कूल ड्रेस ही सिलाये । सक्षम अभिभावकों को इसके लिए बाध्य भी किया जा सकेगा ।

पेयजल

विद्यालय में आधार-भूत सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से उन विद्यालयों में जहाँ चापाकल नहीं उसे इसकी व्यवस्था करने की योजना जिले के कुल विद्यालयों में से 200 विद्यालयों में चापाकल नहीं हैं, है। जिसे इस वित्तीय वर्ष में लगवाया जायेगा ।

शौचालय

नामांकन में प्राप्त आँकड़े के अनुसार 505 प्राथमिक विद्यालयों में एवं 150 मध्य विद्यालयों में क्रमशः 40 एवं 60 से ज्यादा छात्रायें नामांकित है इसलिए इन विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की जायेगी । ऐसे कुल विद्यालयों की संख्या 655 होगी । ऐसा इसलिए किया गया है कि ग्रामों में व्यापक पैमाने पर शौचालय की माँग की जाती है इसलिए इस शर्त के निर्धारण से छात्राओं में नामांकन

में वृध्दि होने की संभावना है एवं अनेक विद्यालयों के बगल में आबादी बस गयी है जिस कारण छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को कठिनाई होती है ।

ब्लैक बोर्ड

सभी चयनित 723 प्राथमिक विद्यालयों को दो-दो पोर्टेबुल ब्लैक बोर्ड उपलब्ध करवाया जायगा ताकि वर्गों की तुलना में कमरों की कम संख्या होने के बावजूद अलग-अलग वर्ग संचालन किया जा सके ।

विद्यालय के परिवेशिय सुधार को आकर्षक बनाने के लिए नामांकन की दृष्टि से चयनित प्रत्येक प्रखंड के सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण करवाया जायेगा, जिसमें लकड़ीवाले एवं फलदार वृक्ष (शीशम, जामुन, आम कटहल आदि) रहे । इनकी घेराबंदी बांस की खपाची से बने घेरे से की जायेगी ।

अतिरिक्त विद्यालयीय कार्य :- विद्यालय में छात्रों में अनुशासन में सुधार लाने हेतु दिनचर्या का कड़ाई से पालन करवाया जायेगा । निर्धारित समय पर विद्यालय के छात्र और शिक्षक एक स्थान पर एकत्रित होकर प्रार्थना में भाग लेंगे और प्रार्थना के उपरान्त प्रतिज्ञा वाचन होगा । नियमित रूप से राष्ट्रगान गाया जायेगा । प्रार्थना के उपरान्त नियमित रूप से शिक्षक छात्र/छात्राओं की सफाई देखेंगे कि वे उपलब्ध सुविधा के पश्चात् स्नान करके आते हैं, नाखून की सफाई करते हैं, कपड़े साफ रखते हैं और नियमित रूप से अपने शरीर की सफाई तथा देखभाल करते हैं ।

अध्यापन व्यवस्था में सुधार :- विद्यालयों में प्रत्येक विषय से संबंधित सिलेबस बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय द्वारा शिक्षकों की गोष्ठी के उपरान्त निर्धारित करके विद्यालय को उपलब्ध करवाया जायेगा जिसमें मासिक उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य निम्न रूप से निर्धारित किया जायेगा-

प्रत्येक विद्यालय को पढ़ाई के घंटों की दिनचर्या बनानी होगी जिससे कि निर्धारित मास का लक्ष्य प्राप्त हो सके । विद्यालय में वर्तमान चल रही परीक्षा व्यवस्था समुचित नहीं है जिसके कारण विद्यार्थियों में विद्यालय में पढ़ने के बाद घर पर पढ़ने की इच्छा नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक स्तर कमजोर होता है इसलिए चयनित विद्यालयों में ही परीक्षा व्यवस्था सम्पन्न की जायेगी जिसमें सरकारी निदेशों का भी ध्यान रखा जायेगा । इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक विषय का कुल पूर्णांक 200 अंक का होगा जिसमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, गृह कार्य जाँच तृतीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा आयोजित की जायेगी । प्रत्येक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ।

विद्यालयों में इस बात पर भी जोड़ दिया जायेगा कि नियमित शिक्षक नियमित रूप से बच्चों को गृह कार्य दें और उसकी जाँच की जायेगी । प्रत्येक विषय के लिए अभ्यास पुस्तिका वर्ग-3 से उपर बनायी जायेगी ।

प्रत्येक सप्ताहान्त शनिवार के अपराह्न में अन्ताक्षरी-सह-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवायी जायेगी । प्रत्येक दिन अंतिम घंटी खेलकूद की घंटी के रूप में रखी जाय इस पर भी जोड़ दिया जायेगा ।

मोनिटरिंग एवं ईभेलुयेशन :-

बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यकलापों की विद्यालयों में निरीक्षण हेतु परियोजना कार्यालय में निरीक्षण कोषांग की स्थापना है जिसके अनुसार जिले के सभी विद्यालयों को 68 क्षेत्रों में बांटकर सघन निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है । इसके लिए निरीक्षण प्रपत्र बना हुआ है । निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इसे भरकर बिहार शिक्षा परियोजना में भेजा जाता है । इसके निरीक्षणोपरान्त अग्रत्तर कार्रवाई की जाती है ।

निरीक्षण के क्रम में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन को कम्प्युटर के माध्यम से संकलित किया जाता है जिसे शिक्षा स्थापना समिति आदि की बैठकों में उपयोग में लाया जाता है ।

प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति एवं प्रधानाध्यापक को परियोजना के तरफ से पोस्टकार्ड उपलब्ध करवाया ज गया है जिसके माध्यम से परियोजना से सीधे सम्पर्क रखते है। जिनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तर पर निरीक्षण कोषांग में इसका समुचित संधारण एवं समुचित कार्रवाई की जाती है ।

गुरु गोष्टी में जिला के वरीय पदाधिकारियों को भाग लेने हेतु भेजे जाते हैं जिसमें वे प्रत्येक माह में बिहार शिक्षा परियोजना कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं ।

इस प्रकार 68 जोन के निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा जिले के सभी विद्यालयों/गाँवों में परियोजना के कार्यों की गतिविधियों की सूचना प्राप्त हो सकेगी । जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले इन सूचनाओं के आधार पर यदि कोई सैध्दान्तिक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तो लिया जायेगा एवं अलग-अलग मामलों में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी । इन प्रपत्र को कम्प्युटर में इन्टर करने की व्यवस्था भी की जायगी जिससे मासिक तौर पर समीक्षा संभव हो सके ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र,महिला समाख्या अ एवं शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित फीडबैक प्राप्त करने हेतु एक समेकित प्रपत्र बनाया जायेगा, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से सूचना प्राप्त की जायेगी, जिससे इन तीनों कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में आँकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

प्रत्येक प्रखंड में एक कार्य दल बनाया जायेगा ।

पाठ योजना :-

विद्यालयों में पाठ योजना उपलब्ध नहीं है, जिससे शिक्षकों द्वारा वर्ष में पाठ्यक्रम की योजनाबध्द ध्र तरीके से पाठन करने में कठिनाई होती है इसे बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षाविदों से तैयार कर जिला के सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराये जाने की योजना है ।

न्यूनतम अधिगम स्तर :-

जिला के पाँच प्रखंडों यथा रीगा,बाजपट्टी,सोनबरसा,रुन्नीसैदपुर एवं नानपुर के चयनित सौ विद्यालयों में यह कार्यक्रम लागू किया गया है। चयनित सभी विद्यालयों में पूर्व परीक्षण,परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इन विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 1994-95 में रीगा प्रखंड के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है ।

शिक्षा दाता :-

इस जिले में कुल 1237 प्राथमिक विद्यालयों में कुल 5714 पद स्वीकृत जिसमें 5192 शिक्षक कार्यरत है तथा 522 पद रिक्त है।

शिक्षकों की सेवा निवृत्ति होने एवं नयी नियुक्ति नहीं होने के कारण शिक्षकों की संख्या घटती जा रही है । बिहार शिक्षा परियोजना के लागू होने के पश्चात् छात्र/छात्राओं की संख्या में अप्रत्याशित वृध्दि हुई है। छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या में कमी है । इसलिए सेवा निवृत्त शिक्षकों से उन्हीं के गाँव।या निकटतम गाँव के विद्यालयों में इनकी सेवा " शिक्षा दाता " के रूप में लेने का प्रस्ताव है । इसके लिए इन्हें मानदेय भी दिये जाने का प्रस्ताव है। इसे प्रथम चरण में रीगा प्रखंड एवं सोनवरसा प्रखंड में लागू की जायगी ।

बुनियादी विद्यालय :-

इस जिले में कुल 11 बुनियादी विद्यालय है जिसमें शिक्षक कार्यरत है । इन सभी विद्यालयों में कुल मिलाकर 47.35 एकड़ जमीन है । इन विद्यालय का स्वरूप पूर्व में रोजगार पर आधारित था । इन विद्यालयों में पुस्तकीय ज्ञान के अलावे कृषि,काष्ठकला बुनाई आदि हस्तकला का ज्ञान दिया जाता था ।

आज इन विद्यालयों की स्थिति सतत् देखरेख के अभाव में दैयनीय है । इन विद्यालयों में भी वर्ग-1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। बिहार शिक्षा परियोजना सीतामढ़ी वर्ष 1994-95 के लिए इन विद्यालयों को विशेष योजनान्तर्गत चयनित करना चाहती है ।

इन विद्यालयों में बिहार शिक्षा परियोजना की गतिविधियाँ लागू करने से यह संभव है कि पूर्व की कल्पना के अनुरूप इस विद्यालयों को विकसित करने में सफलता प्राप्त हो । यह रोजगार पर आधारित व्यवसायिक शिक्षा की प्रथम कड़ी होगी ।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम :-

बिहार शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य अभिवंचितों में जागरूकता पैदा कर इतनी चेतना पैदा करना है ताकि वे अपने परिचितों को प्राथमिक शिक्षा दिला सकें ।

अभिवंचितों की जितनी समस्यायें हैं उन सभी का निदान तो बिहार शिक्षा परियोजना व्दारा सम्भव नहीं है किन्तु उनके स्वास्थ्य की देखभाल उपलब्ध संसाधनों के आधार पर यथा सामंजस्य स्थापित कराया जा सकता है ।

वातावरण निर्माण हेतु जितनी विधियों का प्रयोग जिला स्तर पर किये जाते हैं उनमें यह महसूस किया गया है कि यदि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी एवं चिकित्सा कर्मियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो जाय तो अभिवंचितों को बिहार शिक्षा परियोजना के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

1994-95 में इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य कार्यक्रम भ शुरू करने की योजना है । इस योजना के तहत एक कार्यशाला जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारी की हुई है । चिकित्सा पदाधिकारियों व्दारा अनुकूल सहयोग प्राप्त होने की संभावना बढ़ गई है ।

1994-95 में जिले के पाँच प्रखंडों रीगा,वथनाहा,सोनवरसा,परिहार, एवं डुमरा में यह कार्यक्रम शुरू करने की योजना है ।

स्थानीय स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारी,चिकित्सा कर्मी कम से कम पाँच ग्रामों का चयन करें ।

इन ग्रामों के बच्चे व बच्चियों के स्वास्थ्य की जाँच करायी जायगी । प्रथमतया स्वास्थ्य रक्षा हेतु आवश्यक सुविधा प्राप्त कराने के प्रयास किये जायेंगे ।

विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी शिक्षा परियोजना द्वारा भी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने पर गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिए जायेंगे ।

देशी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भी बच्चे बच्चियों के बाल रोग का ईलाज कराने की योजना यथा आयुर्वेद, होमियोपैथ के चिकित्सक जो निः स्वार्थ भाव से कार्य करने को तैयार होंगे उनसे सेवायें ली जायेंगी ।

इसके लिए कार्यशाला आयोजित कर योजना बनाने एवं उन्हें मूर्त्त रूप देने का प्रस्ताव है ।

यदि अनुकूल वातावरण का निर्माण सम्भव हो सका तो प्रगति की समीक्षा कर इसे वर्ष 1995-96 एवं 96-97 तक जिले के शेष अन्य प्रखंडों में भी शुरू कर दिए जायेंगे ।

==========

<--- GRAPH NO.- 4 --->

COMPARATIVE DROP-OUT POSITION

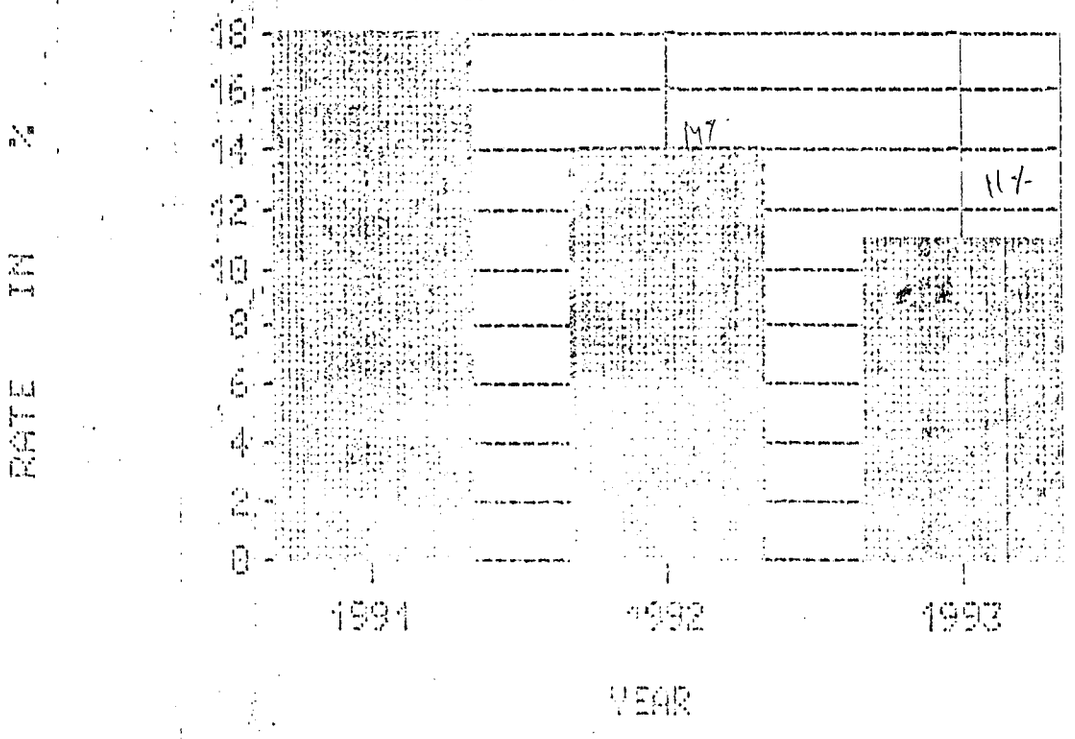

IMPACT OF SCH. BUILD. (GRAPH NO.-5)
ON STUDENT ENROLMENT

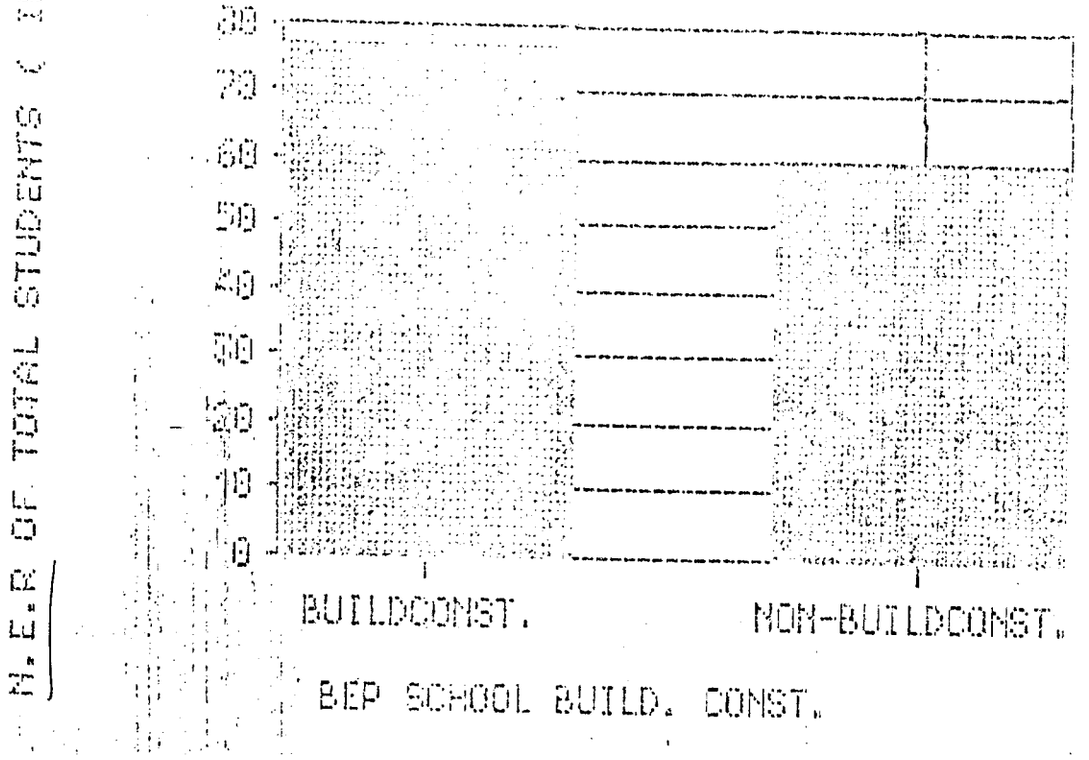

(GRAPH NO.- 1)

NET ENROLMENT RATIO

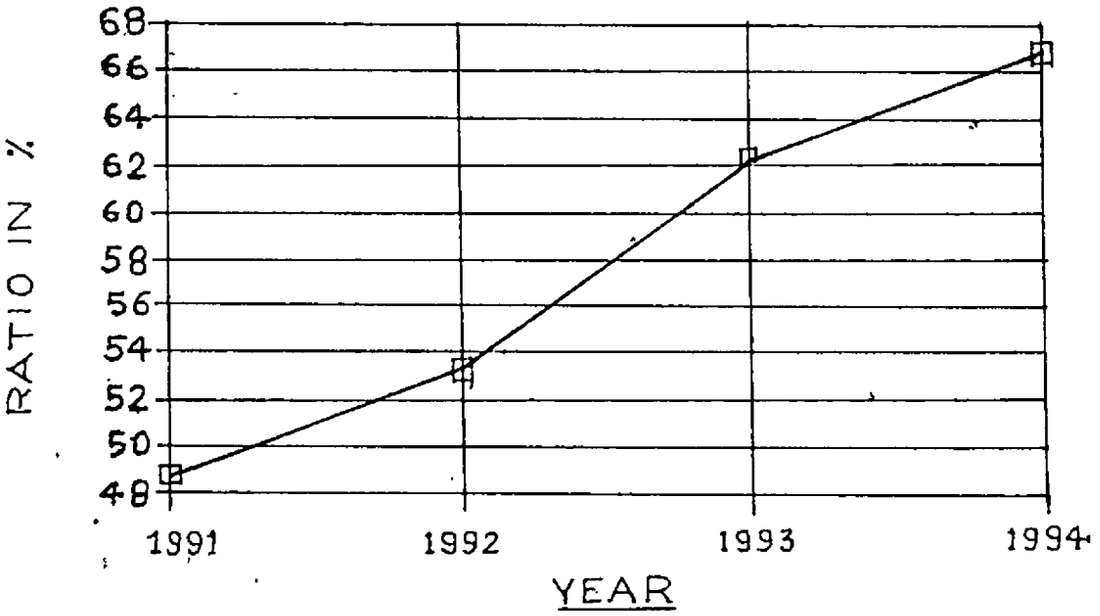

COMP. STAT. OF TOTAL (GRAPH NO.- 2)

ENROLLED STUDENTS AS ON 31-3

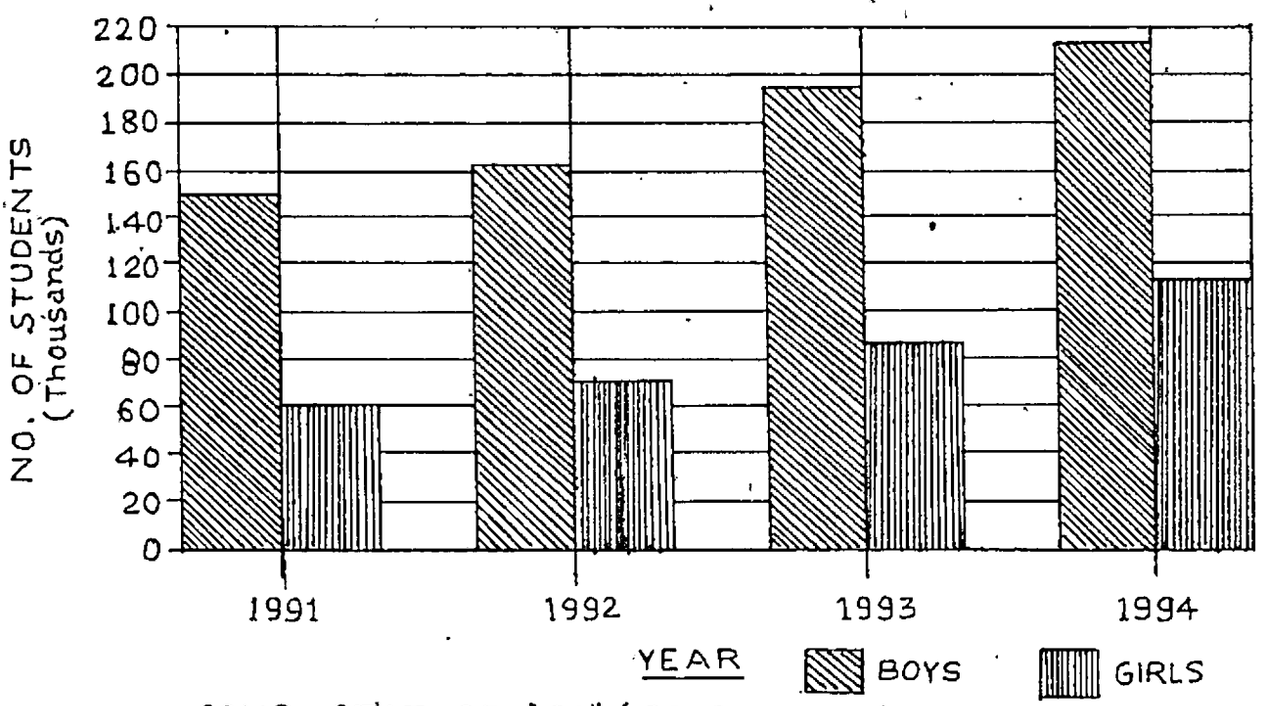

COMP. STAT. OF "SC" (GRAPH NO.-3)

ENROLLED STUDENTS AS ON 31-3

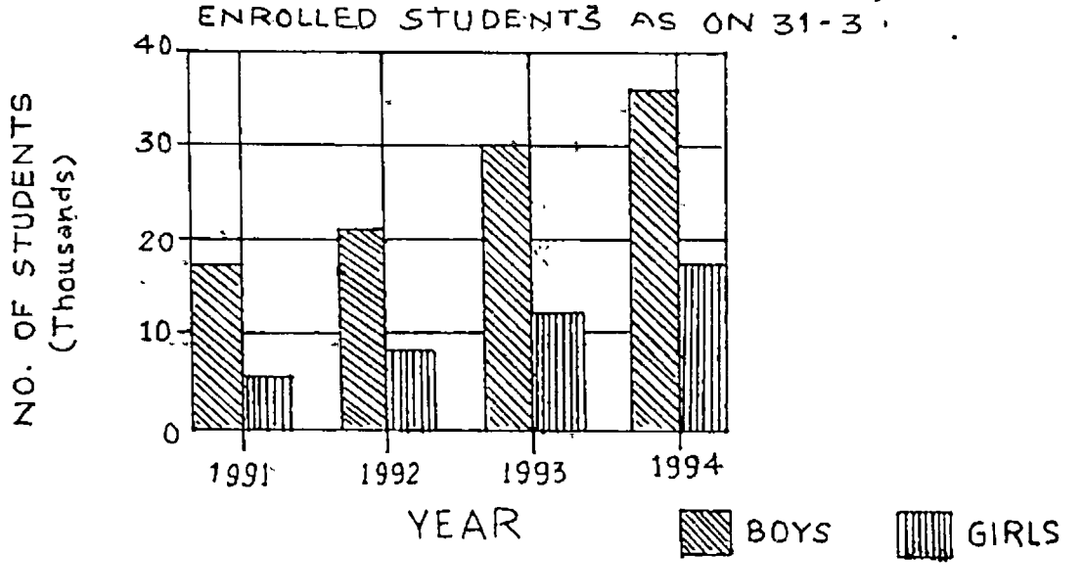

कार्य की प्रक्रिया

बिहार शिक्षा परियोजना सीतामढ़ी में संख्यात्मक उपलब्धि की जगह अपनाये जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है। हम कह सकते हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना एक प्रक्रिया आधारित परियोजना है। इस जिला में जो प्रक्रिया अपनायी गई उनमें निम्नलिखित प्रमुख है :-

1. विद्यालय का चयन

वर्ष 1993-94 तक 640 विद्यालयों को चयनित कर उसमें आवश्यक सुविधा एवं बिहार शिक्षा परियोजना की गतिविधियों को लागू करना था। पूर्व में चयनित सभी प्राथमिक विद्यालय जो भवन युक्त तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत चयनित नहीं है उन सभी प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व के विद्यालयों के आस-पास के सभी भवनयुक्त विद्यालयों(ओ की विद्यालय छोड़कर) वर्ष 1993-94 में चयनित किया गया है । उन सभी मध्य विद्यालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों को भी 640 विद्यालयों की सूची में स्थान दिया गया है जिनमें बिहार शिक्षा परियोजना से विद्यालय भवन का निर्माण एवं मरम्मति कार्य कराया गया है ।

2. शिक्षण कीट्स वितरण प्रक्रिया

प्रखंड विकास पदाधिकारी व्दारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण बिहार शिक्षा परियोजना से शिक्षण कीट्स प्राप्त कर वितरण केन्द्र पर पहुँचाया । वितरण केन्द्र से विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि संयुक्त रूप में इसे प्राप्त किए विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों की उपस्थिति में सभी जाति के छात्राओं एवं अनु0जाति के छात्रों के बीच निर्धारित संख्या वितरण किया गया ।

इससे पूर्व 15 जनवरी94 तक की छात्र संख्या प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों से विद्यालयवार प्राप्त की गई थी । प्रत्येक प्रखंड में 4-5 विद्यालयों के मध्य में ही वितरण केन्द्र बनाये गये थे ।

ग्राम शिक्षा समति के गठन की प्रक्रिया

बिहार शिक्षा परियोजना सीतामढ़ी मुख्यालय में इस जिले के बुध्दजीवियों, समाजसेवियों,महाविद्यालयों की छात्राओं का एक दल बनाया गया तथा इस दल को छोटे-छोटे समूह में विभाक्त कर जिले के वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में ग्रामों में भेजा गया जहाँ की ग्राम सभा में सक्रिय सदस्यों की पहचान कर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया ।

विद्यालय भवन निर्माण की प्रक्रिया

जिन-जिन विद्यालयों की शिक्षा समिति एवं ग्रामीणों ने 20% की भागी दारी नगद,सामग्री एवं श्रम के रूप में जमा करने में सफल रहें वहाँ के विद्यालयों में भवन निर्माण एवं मरम्मति की स्वीकृति दी गई ।

अभिकर्त्ता का चयन दाता समूह एवं ग्राम शिक्षा समिति में आम सहमति के आधार पर किया। भवन निर्माण कार्य के सुलभ पर्यवेक्षण हेतु ग्राम शिक्षा समिति को प्राक्कलन हिन्दी भाषा में टंकित कर उपलब्ध कराया गया था जिसमें भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों एवं विधि का सरल भाषा में वर्णन किया गया है ।

साथ ही जिला स्तर से भी वरीय पदाधिकारियों को भवन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु भेजा गया । परिणामस्वरूप प्रायः भवन समय सीमा के अन्दर पूर्ण हुए तथा उच्चकोटि का निर्माण सम्भव हो सका ।

वर्ष 1994-95 की कार्य योजना की झलक

1. 723 प्राथमिक विद्यालयों का फोकस विद्यालय के रूप में चयन ।

2. 723 ग्राम शिक्षा समितियों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण ।

3. "शिक्षा दाता" योजना ।

4. सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों सम्मानित किया जाना ।

5. विद्यालयहीन अभिबंचितों की बस्तियों की पहचान कर जिले की वर्त्तमान इकाई से ही नये विद्यालयों की स्थापना ।

6. विश्लेषण कर अनुपयोगी विद्यालयों को बन्द करना ।

7. रीगा प्रखंड में 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना ।

8. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छुटटी अवधि परिवर्त्तन ।

9. युनिफार्म पाठ्यक्रम ।

10. प्रयोग के तौर पर पारी पद्धति लागू करना ।

11. 150 भवनहीन विद्यालयों का निर्माण एवं 100 की मरम्मति ।

12. 244 - विद्यालयों में शौचालय की स्थापना ।

13. 250 - नया चापाकल की स्थापना ।

14. प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चे / बच्चियों को कीटस का वितरण ।

15. बेसिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण ।

अनुसूची

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत अवस्थित राजकीय बुनियादी विद्यालयों की सूची

क्रमांक	विद्यालय का नाम	प्रखंड	स्वीकृत पद	कार्यरत	भूमि	भवन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1-	राजकीय बुनियादी वि0 शिवहर शिवहर		10	7	0.50डी0	दयनीय
2-	रा0बुनियादी वि0रसलपुर,डुमरा		11	9	4.62"	दयनीय
3-	रा0बु0वि0,जानीपुर,नानपुर		11	9	7.60"	दयनीय,बिहार शिक्षा परि0 से चार कमरों का निर्माण हुआ
4-	रा0बु0बि0,डुमरा,डुमरा		10	10	अभ्यासशाला	
5-	रा0बु0वि0,भटो नया पताही,बेलसंड		11	5	4.31"	दयनीय
6-	रा0बु0वि0, रामौपुर बखरी,डुमरा		11	8	7.51"	दयनीय
7-	रा0 बु0 वि0,गौरा,नानपुर		11	6	6.66"	दयनीय
8-	रा0बु0वि0,मोरसंड,रून्नीसैदपुर		10	10	.48 "	दयनीय
9-	रा0बु0वि0मौंची भंडारी,बेलसन्ड		11	5	4.77"	मरम्मति की आवश्यकता
10-	रा0बु0वि0पकड़ी,डुमरा		11	8	5.90	दयनीय
11-	रा0बु0 वि0बिसाही,शिवहर		11	5	5.00	दयनीय
			118	82	47.31	

प्रशिक्षण
कार्य योजना वर्ष 1994-95

पृष्ट भूमि:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण की परम्परागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्त्तन का देश के शैक्षिक पुनर्निर्माण की व्यूहरचना में सर्वोपरि महत्व देना ।

उद्देश्य:- 1-शिक्षकों में अपने कर्त्तव्य के प्रति वाँछित अभिवृत्यात्मक परिवर्त्तन हो और उन्हें अध्ययन-अध्यापन की नवीनतम प्रवृत्तियों के अनुकूल कार्य करने का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आयगी ।

2-शिक्षकों की कार्य कुशलता बेहतर हो ।

3-प्रशिक्षण व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण महलुओं का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा उसके आधार पर सुधार की प्रक्रिया को प्रखर बनाना ।

4-शिक्षकों की अपनेी शैक्षिक योग्यता के विकास को सर्वोपरि प्राथमिकता देना ।

5-शिक्षकों को शिक्षण कौशल के विकास की तरफ ध्यान देना ताकि वे बाल केन्द्रित शिक्षण व्यवस्था बनाकर स्थानीय साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षण को बच्चों के लिए रूचिकर एवं आनन्ददायक बन सके ।

6-सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि का प्रयोग तथा एम0एल0एल0 की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्षमता प्राप्त कराना ।

प्रगति:-

	92-93	93-94	94-95
1-निरीक्षी पदाधिकारियों का तीन दिवसीय उन्मुखीकरण चर्या	-	20	-
2-मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का पाँच दिवसीय उन्मुखीकरण चर्या	-	94	130
3-सहायक शिक्षकों का दस दिवसीय प्रशिक्षण चर्या	420	584	73
4-सहायक शिक्षकों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण चर्या	-	402	-
5-राज्य के बाहर प्रशिक्षण संस्थान में (उड़ीसा ग्रेड) सात दिवसीय प्रशिक्षण	-	-	19

कार्य योजना:-

1-वर्ष 1997 तक जिले के शत् प्रतिशत शिक्षक-शिक्षिकाओं को 10 दिवसीय एवं 11 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना ।

2-वर्ष 1994-95 में जिले के चयनित 640 विद्यालयों के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को 10 दिवसीय एवं 11 दिवसीय प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है, जिसमें एम0एल0 एल0 के अन्तर्गत चयनित विद्यालय भी शामिल हैं ।

3-जिले के चयनित 640 विद्यालयों में 110 मध्य विद्यालय एवं 530 प्राथमिक विद्यालय हैं । इन विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की अनुमानित संख्या 110 एवं सहायक शिक्षकों की अनुमानित संख्या 2000 है ।

इसमें वर्त्तमान सत्र 1993-94 के अंत तक कुल 1000 शिक्षकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण 420 शिक्षकों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण एवं 100 प्रधानाध्यापकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जायगा ।

इस प्रकार सत्र 1994-95 में 1000 शिक्षकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण तथा 1580 शिक्षकों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करने का लक्ष्य है ।

4- जिले में कुल 309 मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों में से 109 प्रधानाध्यापकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य (विद्यालय प्रबंधन से संबंधित) वर्त्तमान सत्र में ही संपन्न हो जायगा । शेष 200 प्रधानाध्यापकों को सत्र 1994-95 में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ।

५-चूंकि वित्तीय वर्ष १९९३-९४ में शिक्षकों के १०दिवसीय तथा दोदिवसीय एवं प्रधानाध्यापकों के ५ दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की कुल संख्या-२०९ होगी।

वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र, दुनरा में दो समूहों (ग्रुप ए एवं ग्रुप बी) में प्रशिक्षण कार्य चलता है। प्रत्येक समूह में औसतन ३५ प्रतिभागी शिक्षक भाग लेते हैं। इस प्रकार १६ पाली में ३५ X २ = ७० शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पूरे सत्र ९४-९५ में इस केन्द्र पर अधिक से अधिक १६८० प्रतिभागियों को १०दिवसीय एवं ११दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक उप केन्द्र की आवश्यकता होगी।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिक्कर में १६० शिक्षकों का १०दिवसीय एवं ७४० शिक्षकों का ११ दिवसीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा जहां शेष शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा दुगरा मुख्यालय में आवासीय/गैर सुविधा अनुसार भी वहां लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था की जायेगी।

वर्ष १९९२ में चयनित एवं प्रशिक्षित ८ जिला स्तरीय साधनसेवी कार्यरत हैं। इस प्रकार अतिरिक्त साधनसेवियों की आवश्यकता होगी।

२-त्रिदिवसीय विशेष प्रशिक्षण :-

१-प्रखंड स्तर पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण विषयक तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जायेगा। इस वर्ग के द्वारा न्यूनतम अधिगम स्तरों की प्राप्ति के लिए जिन दक्षताओं की आवश्यकता है उसके बारे में आवश्यक क्षमता है उसके बारे में आवश्यक क्षमता शिक्षकों को प्रदान किया जायेगा।

२-शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, गणमान्य व्यक्तियों, शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से गणित, भाषा एवं पर्यावरण विषय के अच्छे शिक्षकों की सूची तैयार की जायेगी। इन शिक्षकों की योग्यता एवं क्षमता को परख कर उन्हें प्रशिक्षित कराया जायेगा और इनका उपयोग प्रखंड स्तरीय ३-दिवसीय प्रशिक्षण वर्गों में साधनसेवी के रूप में किया जायेगा। इस प्रकार की प्रत्येक वर्ग में एक जिला स्तरीय साधनसेवी वर्ग निदेशक का कार्य करेंगे।

पत्रिका :-

३- प्रशिक्षण केन्द्र से एक शैक्षिक पत्रिका (मासिक/द्वैमासिक/अर्द्धवार्षिक) प्रकाशित करने का लक्ष्य है। पत्रिका प्रकाशन का उद्देश्य निम्न है:-

१-शिक्षकों को शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी प्राप्त कराया जायेगा।

२-शिक्षकों की विषयगत समस्याओं का निराकरण।

३-शिक्षकों से बराबर सम्पर्क स्थापित करना।

४-सृजनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना।

५-परियोजना की उपलब्धियों/संदेशों/नियमों/परिपत्रों को अवगत कराना

६-नवाचार का प्रयोग।

७-छात्रों में ड्राइंग, पेंटिंग, कविता, विज्ञान, गीत, निबंध, लघु नाटक, शैक्षिक उपकरण बनाने आदि के प्रति रुझान उत्पन्न करना तथा सर्वोत्तम कृति को पुरस्कृत करना।

८-शैक्षिक वातावरण का निर्माण।

९-विभिन्न कम्पोनेन्ट्स के बीच तालमेल (समन्वय) स्थापित करना।

१०-समय-समय पर शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी "फार्मेट" आदि की

जानकारी देना।

५४-शिक्षकों द्वारा विशेष अच्छे किए गए कार्य के बारे में रिपोर्ट एवं समालोचना आदि-आदि।

<u>फॉलो-अप कार्यक्रम</u> :-

५५-प्रशिक्षणोपरान्त शिक्षकों के मनोवृत्ति में अपेक्षित बदलाव आया है या नहीं। शिक्षण कार्य में सुधार आया या नहीं, समाज से उनका जुड़ाव हुआ या नहीं। यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, इसका पता करने एवं बाधाओं को दूर करने के लिए डायट के मानव संसाधनों एवं कुछ सन्दर्भसेवियों की टीम बनाकर समय-समय पर विद्यालयों में भेजा जायेगा ताकि परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

शिक्षकों के व्यावहारिक परिवर्तन को मापने हेतु -

५-अनुभव से जानकारी २-एनरोलमेंट/ठहराव के संबंधों से जानकारी ३-छात्रों से जानकारी ४-निरीक्षी पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी जिला स्तर पर मॉडल विद्यालयों/पदाधिकारियों/शिक्षकों का दल भेजकर प्राप्त जानकारी/सैम्पल sample से प्राप्त जानकारी लेने के साथ छात्रों के परीक्षा फल को आधार माना जायेगा।

<u>कार्यशाला</u>

५७- वर्ष ९४-९५ के दौरान जिला स्तर पर दो एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षण की समीक्षा की जायेगी। त्रुटियों को दूर करने के उपाय ढूंढे जायेंगे ताकि आगामी वर्षों में सुधार हो सके। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण से जुड़े सभी सन्दर्भसेवी, वर्ग प्रभारी के अलावे सभी कम्पोनेन्ट के प्रभारी जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अध्यक्ष भाग लेंगे।

५८-वर्ष के दौरान जिला स्तर पर कम से कम एक बार दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसमें राज्य एवं देश स्तर के ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्, प्रशैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जायेगा ताकि जिला स्तरीय सन्दर्भसेवियों के साथ उनके विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान हो सके। इस प्रकार के कार्यशालाओं से न केवल अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण पर चर्चाएँ होंगी और रास्ते भी पता चलेंगे। देश के अन्य भागों में होनेवाले प्रयोगों एवं अनुभवों से भी परियोजना को लाभ मिलेगा।

<u>गुरु गोष्ठी</u> -

पाठ्यवस्तु, शिक्षण कौशल आदि से संबंधित शिक्षकों द्वारा अनुभूत कठिनाईयों की जानकारी एवं उसके समाधान हेतु प्रखंड स्तरीय "गुरु गोष्ठी" में एक-दो सन्दर्भसेवियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

<u>सन्दर्भसेवियों का कौशल विकास</u>

जिला स्तरीय सन्दर्भसेवियों को राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर के ख्यातिप्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक भ्रमण पर भेजना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि नवीनतम शिक्षण तकनीकों तथा वहाँ के विभिन्न प्रयोगों से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त कर उसे प्रशिक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षकों तक सम्प्रेषित कर सकें जिससे प्रशिक्षण में गुणवत्ता आयेगी।

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं उपकेन्द्र :-

18- 1-प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रत्येक विषय समूह से संबंधित दो-दो सेट में शिक्षण किट्स उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जिससे शिक्षकों को प्रशिक्षण को सुगम, प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाया जा सके साथ ही विद्यालयों में कोर्टिंग की आपूर्ति किये जाने पर शिक्षक उसका समुचित उपयोग कर सकेंगे ।

2-प्रशिक्षण केन्द्र पर श्रव्य दृश्य सामग्री (टी०भी०सेट रेडियो, भीडीयो कैसेट आदि) उपलब्ध कराया जायेगा ।

3-प्रशिक्षण केन्द्र का [illegible] निर्माण, पेयजल की समुचित व्यवस्था, महिला स्नानागार, प्रतिभागियों एवं साधनसेवियों के लिए सुव्यवस्थित आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना लक्ष्य है ।

19-इसके अतिरिक्त वे सभी गतिविधियों/क्रियाशीलन जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बिहार शिक्षा परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है दृढ़तापूर्वक आयोजित की जायेगी ।

20-कम कीमत पर साधनसेवियों की मार्गदर्शक (देखरेख) में प्रतिभागी शिक्षकों द्वारा 11-दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान अल्पव्ययी शिक्षण उपादान का निर्माण कराने और उसका लाभ विद्यालयों तक पहुंचाने का लक्ष्य है ।

21-प्रशिक्षण केन्द्र पर एक पुस्तकालय-सह-अध्ययन कक्ष की व्यवस्था की जायेगी । पुस्तकालय में शिक्षोपयोगी [illegible] पुस्तकों को संग्रहित किया जायेगा तथा दैनिक समाचार पत्र एवं शैक्षिक पत्र पत्रिका की नियमित व्यवस्था ।

क-जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण -

डायट के अंतर्गत "लोक परिसर" निर्धारित करने का लक्ष्य है । इसके अंतर्गत निकटवर्ती एवं आवागमन की सुविधा के दृष्टिकोण से निकटवर्ती शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों का चयन किया जायेगा । अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र का चयन कर नामांकन, स्थिरीकरण, बच्चों की नियमित उपस्थिति की जांच की [illegible] तथा तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा जिससे परियोजना के इन्टरवेन्शन, लोक भागीदारी आदि का मूल्यांकन किया जा सके । साथ ही आगामी रणनीति तैयार की जा सके ।

	I अप्रैल से जून	II जुलाई-सित०	III अक्टू०-दि०	IV जन०	कुल
10दिवसीय -	५२०	५५०	४८०	४५०	२०००
11दिवसीय-	६००	६००	५००	७८०	२५८०

उपकेन्द्र की स्थापना-

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट) द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95 में अधिकतम 1680 प्रतिभागियों को 10 दिवसीय एवं 11 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा सकता है । अतएव निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपकेन्द्र की स्थापना की जा जायेगी ताकि 25 [illegible] पदाधिकारियों, [illegible] को प्रशिक्षण को समुचित [illegible] की [illegible] सके । [illegible] उपकेन्द्र के द्वारा 440 शिक्षकों को 10दिवसीय [illegible] शिक्षकों को 11दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा सकेगा ।

प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण (प्रत्येक प्रखंड में)

	I	II	III	IV
२ दिवसीय	२	२	२	२

जिला स्तरीय कार्यशाला (एक दिवसीय)

I - माह अप्रैल १९९४ में।

II - माह दिसम्बर १९९४ में।

जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला (दो दिन)

I - माह जून १९९४ में।

साधनसेवियों का शैक्षिक भ्रमण (कौशल विकास हेतु)

I - राज्य स्तरीय - रांची एवं जमशेदपुर डायट में - शैक्षिक संस्थान में

II - राष्ट्रीय संस्थान में - एन०सी०ई०आर०टी० दिल्ली आदि

फॉलो अप कार्यक्रम

प्रत्येक दो चर्याओं के बीच में

२०० प्रधानाध्यापकों का प्रथम तिमाही में ५ दिवसीय प्रशिक्षण एवं २५ निरीक्षी पदाधिकारियों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण द्वितीय तिमाही में दिया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण -

वर्ष १९९४-९५ में इस जिले में ग्राम शिक्षा समितियों की संख्या-	७२६
अध्यक्ष एवं अभिप्रेरक -	१४४६
अन्य सदस्यों की संख्या-	९९९९
कुल सदस्यों की संख्या -	१०,८४५

अध्यक्ष एवं अभिप्रेरकों का आवासीय प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर दो दिवसीय होगा। इस प्रकार सभी प्रखंडों को मिलाकर

कुल चर्या - १८

प्रत्येक चर्या में ८० से ९० सदस्य होंगे तथा दो खंडों में विभक्त कर प्रशिक्षण कार्य होगा।

सामान्य सदस्यों का प्रशिक्षण एक दिवसीय आवासीय होगा।

५-६ ग्राम शिक्षा समितियों पर एक चर्या होगी

इस प्रकार कुल चर्या - ११७

प्रत्येक चर्या में ७५-८० सदस्य होंगे तथा ४ दो खंडों में विभक्त कर प्रशिक्षण कार्य होगा।

इनके प्रशिक्षण एवं साधनसेवी -

पटना की कार्यशाला में प्रशिक्षित साधनसेवी - २

जिला स्तर पर प्रशिक्षित कोर टीम के सदस्य- ८

चूंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष जारी रहेगा। अतः इसी शीर्ष से आवंटित राशि से स्थानीय स्तर पर सामंजस्य स्थापित कर पूर्व की भांति प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहेगा।

-:६:-

अनौपचारिक शिक्षा :-

वर्ष १९९७-९४ में ४२० अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे । इनके संचालन का प्रशिक्षण कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा की कार्य योजना के अनुरूप तिमाही से विभक्त कर आयोजित किये जायेंगे ।

जिला स्तर पर ५ की परिनि का चयन किया गया है जिन्हें प्रशिक्षित कर स्थानीय स्तर पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा ।

अनुदेशकों का प्रशिक्षण ५७ बैच में किया जायेगा । इसमें प्रत्येक बैच में ३०प्रतिभागी होंगे । प्रथम चरण १२ दिवसीय, द्वितीय चरण ५० दिवसीय एवं, तृतीय चरण ८ दिवसीय प्रशिक्षण होगा ।

अनौपचारिक शिक्षा

उपलब्धि

§1§ वर्ष 1993-94 में निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य 80 केन्द्र
§2§ कार्यरत केन्द्र 76 बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 30"रीड" द्वारा
§3§ कार्य क्षेत्र :- रीगा एवं मेजरगंज प्रखंड
§4§ आच्छादित गाँव - 36
§5§ नामांकित बच्चे बच्चियों :-

बिहार शिक्षा परियोजना: द्वारा संचालित केन्द्र

छात्र	सामान्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4
बालक	415	400	815
बालिका	591	494	1085
कुल	1,006	894	1,900

"रीड" स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित केन्द्र

छात्र	सामान्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4
बालक	175	258	433
बालिका	125	192	317
कुल	300	450	750

व्यूह रचना तथा कार्य प्रणाली :-

गाँव की पहचान,सूक्ष्मायोजन एवं शाला मानचित्रण के आधार पर बाल पंजी के अनुसार 6-14 आयुवर्ग के अनामांकित प्रत्येक 25 बच्चों पर एक केन्द्र

2-परिवार का शिक्षा सर्वेक्षण:- ग्राम वार,वर्गवार,जनसंख्या साक्षरता,साक्षरता का प्रतिशत के लिए सर्वेक्षण

3-शाला मानचित्रण:- गाँव में टोलों की संख्या,टोलावार एवं वर्गवार जन संख्या 6-14 आयुवर्ग के अनामांकित बच्चों की संख्या गाँव में विद्यालय की संख्या टोला से टोला की दूरी और विद्यालय से विद्यालय की दूरी ज्ञात करना ।

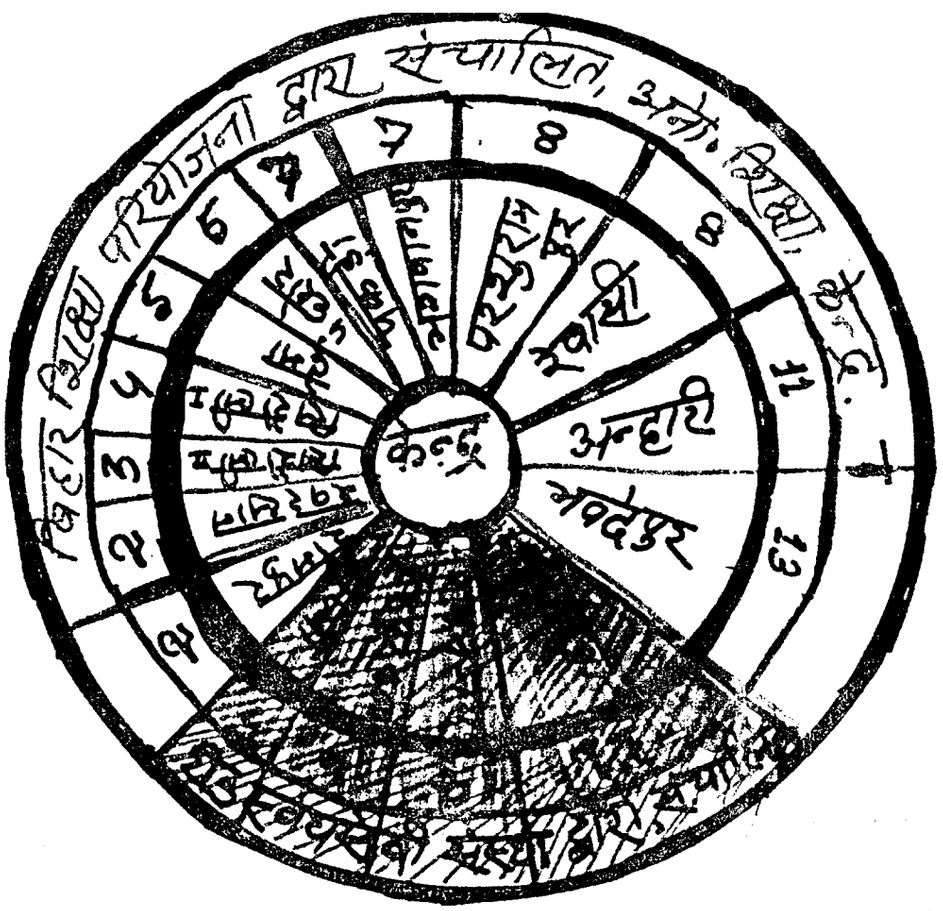

वर्ष 93-94 में कार्यरत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र -
पंचायत वार - केन्द्र सं -

LIBRARY & DOCUMENTATION CEN
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No..... D-9066
Date..... 12-03-96

4-अनुदेशक का पहचान :-9-14 आयुवर्ग के प्रत्येक 25 अनामांकित अनामांकित कामकाजी बच्चों के लिए ग्राम शिक्षा समिति की बैठक के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हेतु अनुदेशक के लिए तीन व्यक्तियों का प्रस्ताव जिला कार्यदल को भेजी जायगी । तत्पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों में प्रत्येक केन्द्र के लिए एक अनुदेशक की अन्तिम पहचार जिला समिति द्वारा किया जायगा ।

शर्तें:- अनुदेशक लाभार्थी वर्ग का तथा केन्द्र स्थल जहाँ का लाभार्थी है, वहीं का हो ।

2-केन्द्र स्थल विद्यालय के आस पास न हो ।

अनुदेशक का प्रशिक्षण:-

अनौपचारिक शिक्षाके अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण विभिन्न तीन चरणों में दिया जायगा ।

प्रथम चरण 12 दिवसीय
द्वितीय चरण 10 दिवसीय
तृतीय चरण 8 दिवसीय

प्रत्येक प्रशिक्षण चर्या में 30 अनुदेशक प्रतिभागी होंगे । यह प्रशिक्षण पूर्णत: आवासीय होगा ।

ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका:-

अनौपचारिक शिक्षा में ग्राम शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

1-गाँव का चयन
2-सर्वेक्षण
3-अनुदेशक का चयन
4-पर्यवेक्षण/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
5-रिपोर्टिंग
6-मानदेय का भुगतान
7-केन्द्र स्थल का चयन/समय का निर्धारण
8-अभिभावकों में शिक्षा प्रति रूचि पैदा करना
9-नामांकन में अनुदेशकों को सहयोग करना
10-बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं न्यूनतम अधिगम की स्तर की सम्प्राप्ति /उपलब्धि को सुनिश्चित करना ।

पर्यवेक्षक का चयन:-

अनौपचारिक शिक्षा के नियमित पर्यवेक्षण/मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक 20 केन्द्र पर एक पर्यवेक्षक होगा । पर्यवेक्षक जहाँ केन्द्र चलता है उसी के बीच का होगा।

प्रशिक्षण:- 17 दिवसीय प्रशिक्षण दो चरणों में होगा ।

प्रथम चरण 12 दिवसीय प्रशिक्षण
द्वितीय चरण 5 दिवसीय प्रशिक्षण
यह प्रशिक्षण पूर्णत: आवासीय होगा ।

परियोजना अधिकारी :- प्रत्येक 100 केन्द्र पर एक परियोजना अधिकारी का चयन किया जायगा जिनका प्रशिक्षण पूर्णत: आवासीय होगा ।

मास्टर ट्रेनर का चयन:-

अनुदेशकों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने हेतु जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर का चयन एवं प्रशिक्षण किया जाना है ।

प्रशिक्षण स्थल:-

डी०आर०यू० का निर्माण एवं प्रशिक्षण सामग्री विकसित किया जायगा ।

अनुश्रवण एव मूल्यांकन:-
=================

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए समय समय पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण आवश्यक है । बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन को एक अन्तर्निहित पद्धति स्थापित किया गया है:- मूल्यांकन दो प्रकार से किया जायगा ।

1-शैक्षिक मूल्यांकन:-
इसके अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के स्तर के गुणात्मक स्तर का का मूल्यांकन किया जाता है ।

2-भौतिक मूल्यांकन :-
इसके अन्तर्गत केन्द्र संचालन सम्बन्धी समस्या/शिक्षण सामग्री छात्रों की संख्या केन्द्र की नियमितता तथा लोक भागीदारी का मूल्यांकन किया जाता है ।

मूल्यांकन अविधि:-

सतत मूल्यांकन के प्रत्येक दिन का विषयवार दक्षता का मूल्यांकन

1-2- ईकाई मूल्यांकन इसके अन्तर्गत प्रत्येक बच्चों का योग्यता के आ आधार पर अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है ।

1-3 सप्ताहित मूल्यांकन

1-4 मासिक मूल्यांकन

1-5 आवधिक मूल्यांकन§सेमेस्टर वार§

1-6 सत्रांत मूल्यांकन

निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन किया जायगा:-

§1§ पर्यवेक्षक :- प्रत्येक 20 केन्द्र पर एक पर्यवेक्षक होंगे जो नियमित रूप से केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन एवं केन्द्र का भौतिक मूल्यांकन कर परियोजना अधिकारी को सूचित करेंगे ।

मास्टर ट्रेनर§की पर्सन§:-

चूँकि अनुदेशकों का मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है । इसलिए बच्चों के शैक्षिक स्तर न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति सम्बन्धित मूल्यांकन की पर्सन,मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जायगा ।

परियोजना अधिकारी द्वारा भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जायगा । एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी सूचना जिला अनौपचारिक शिक्षा प्रभारी को देंगे ।

अन्त में कार्यक्रमों-परान्त क्षेत्र पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा इसका अनुश्रवण भी किया जायगा ।

दो वर्षों के बाद पाँचवीं स्तर की जानकारी प्राप्त करने के बाद अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र से बच्चों को प्रमाण पत्र देकर मध्य विद्यालय में नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जायगा ।

[illegible] 1994-95 :-

[illegible] :-

वर्ष 1993-94 के अनुभव के आधार पर 1994-95 के लिए 720 अतिरिक्त केन्द्र [illegible] विभिन्न चरणों में खोला जायगा ।

प्रथम चरण :-

कार्यक्षेत्र.- रीगा प्रखंड - केन्द्र संख्या 230

औचित्य.- चूँकि 1993-94 में 70 केन्द्र कार्यरत है ।

2- 1994-95 में रीगा प्रखंड को शत प्रतिशत साक्षर [illegible] के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

3- [illegible] शिक्षा परियोजना के सभी गतिविधियों को चलाया जायगा ।

4- 31.3.94 तक ग्राम पंजी के आधार पर 6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या निम्न प्रपत्र में दर्शाया गया है:-

ग्राम पंजी के आधार पर :-

छात्र	सामान्य	अनु० जाति	अल्प संख्यक	योग
बालक	12,772	03127	1956	17855
बालिका	7,897	1665	1266	10828
कुल	20,669	4792	3222	28,683

नामांकित :-

छात्र	सामान्य	अनु० जाति	अल्प संख्यक	योग
बालक	9735	2813	1158	13706
बालिका	5460	1407	587	7454
कुल	15,195	4,220	1,745	21,160

अनामांकित :-

छात्र	सामान्य	अनु० जाति	अल्प संख्यक	योग
बालक	3037	314	798	4149
बालिका	2437	258	679	3374
योग	5474	572	1477	7523

द्वितीय चरण :-

मेजरगंज प्रखंड में 100 केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

औचित्य :- चूँकि मेजरगंज प्रखंड रीगा से सटा हुआ प्रखण्ड है तथा वर्ष 1993-94 में 30 केन्द्र "[illegible]" स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है अतएव प्रखंड [illegible] माँग के आवश्यकतानुसार केन्द्र खोलकर सम्पूर्ण मेजरगंज प्रखंड को आच्छादित करना ।

[illegible] से प्रभावित है । [illegible] वातावरण हीन है ।

तृतीय चरण :-

[illegible] 190 केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

औचित्य :- [illegible] वातावरण [illegible] प्रखंड से पूर्ण [illegible] है ।

चतुर्थ चरण :- [illegible] प्रखंड 120 केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

औचित्य :-

1994-95 कार्य योजना की मुख्य बिन्दु

1. कार्य क्षेत्र का चयन – सीमा डेवरगंज, सोनबरसा, धनाहा
2. ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव के साथ कार्यशाला
3. चयनित क्षेत्र में शिक्षा सर्वेक्षण
4. अनुदेशक का चयन
5. अनुदेशक का प्रशिक्षण
6. पर्यवेक्षक का चयन/प्रशिक्षण
7. परियोजना अधिकारी का चयन/प्रशिक्षण
8. मास्टर ट्रेनर का चयन-/प्रशिक्षण
9. केन्द्र पर शिक्षण सामग्री की आपूर्ति
10. स्थानीय स्तर पर शिक्षण सामग्री विकसित करने हेतु विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला
11. एन०सी०ई०आर०टी०/एस०सी०ई०आर०टी० के विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला
12. केन्द्र का मूल्यांकन– (1) शैक्षिक मूल्यांकन
    (2) भौतिक मूल्यांकन
13. प्रशिक्षण स्थल का निर्माण
14. अनौपचारिक शिक्षा पर आधारित बुकलेट तैयार करना

कार्यक्रम 1994-95

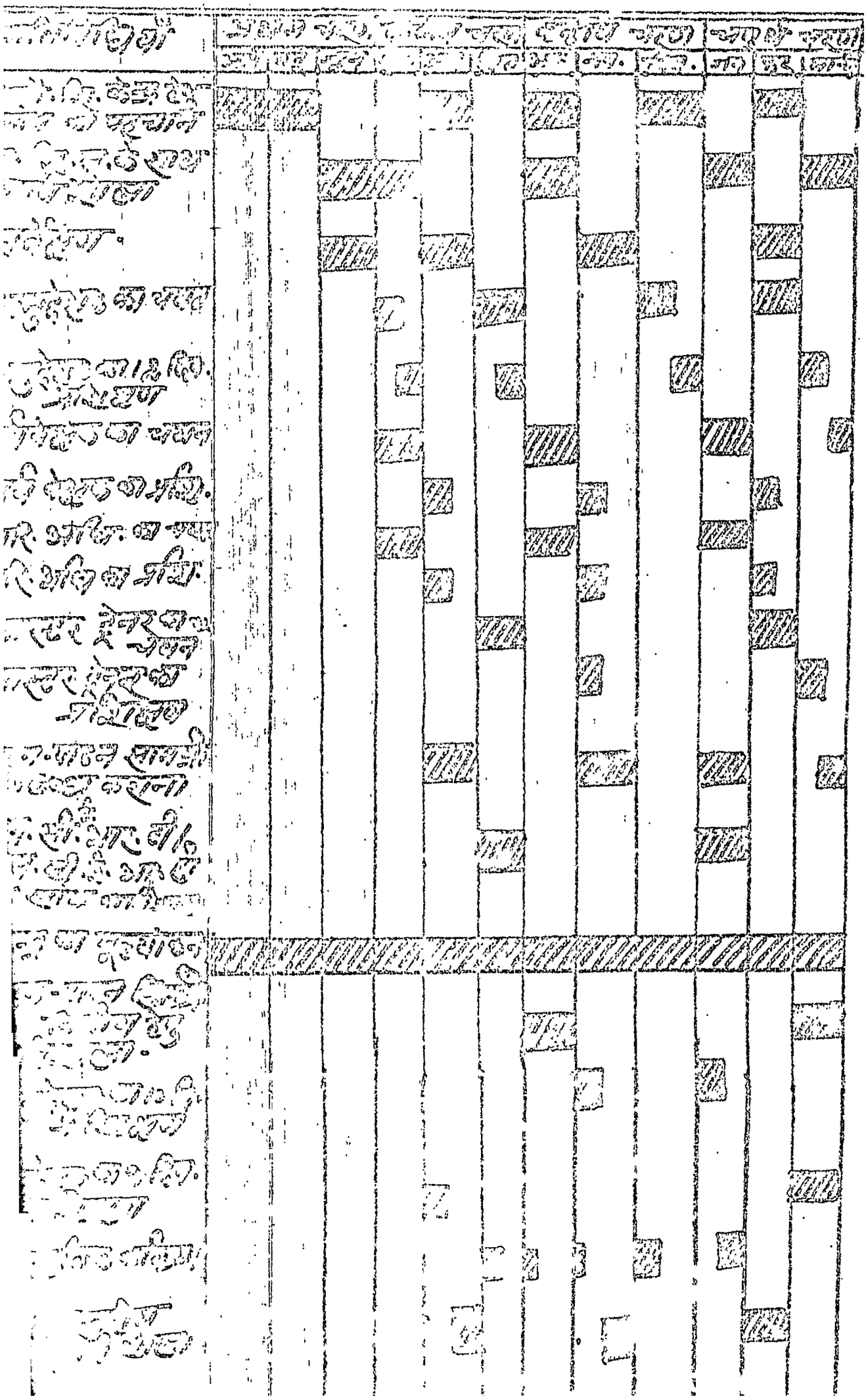

वार्षिक कार्य योजना वर्ष 94-95

महिला समाख्या,सीतामढ़ी ।

भूमिका

बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत,सीतामढ़ी जिले में 1.4.92 को महिला समाख्या कार्यक्रम आरंभ हुआ । आरम्भिक दौर में सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंडों के 10-10 गाँवों को लेकर शुरू हुआ,परन्तु वर्तमान में 12 प्रखंडों के 10-10 गाँवों में महिला समाख्या, कार्य चलाकर कुल 120 गाँवों में चल रहा है ।

वर्ष 93-94 की लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि

		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	कोरटीम का प्रशिक्षण		किया जा चुका है ।
2.	सहयोगिनी प्रशिक्षण	30 दिन	30 दिन
3.	सखी बैठक	240	240
4.	सखी प्रशिक्षण	240	240
5.	कार्यशालायें एवं बैठक	16	16
6.	महिला समाख्या केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर)	निर्माण एवं संचालन प्रारंभ करना ।	लक्ष्य की प्राप्ति की गई ।
7.	पत्रिका एवं प्रकाशन		पत्रिका संग्रह कर प्रकाशित किया गया ।
8.	महिला कुटीर निर्माण	16	4 निर्माण कार्य शुरू है ।
9.	जनजागृति केन्द्र		30
10.	बचत कोष		70

विशिष्ट कार्य

1.	जनजागृति केन्द्र की स्थापना	गाँव की देखरेख में [illegible] केन्द्र की स्थापना की गई ।

2. [illegible] के विवाद का निपटारा ।

3. [illegible] कार्य किया जाना ।

4. [illegible] निर्माण ।

5. [illegible]

{2}

7. समूह द्वारा बचत कोष की स्थापना--अबतक 70 बचत कोष स्थापित किये गये है ।

8. परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहयोग अबतक 184 महिलाओं का बंध्याकरण कराया गया ।

9. मातृ अनुदान 156 महिलाओं को दिलाया गया ।

10. टीकारण समूह द्वारा 4436 बच्चे-बच्चियों को टीका दिलाया गया ।

11. जगजगी ।

प्रोस्पेक्टीव प्लान 94 से 97 तक

1. इस जिले में कुल प्रखंड 18 हैं ।

2. इस जिले में कुल राजस्व ग्राम 960 हैं ।

3. महिला समाख्या 12 प्रखंडों {नये 15 प्रखंडों} में कार्यरत है {जिसमें शिवहर + कटसरी + पिपराही + पुरनहिया}

4. महिला समूह 120 ग्रामों में ।

5. वर्ष 94-95 रीगा एवं सोनबरसा प्रखंड के 85 राजस्व ग्राम आच्छादित होगें ।

6. वर्ष 95-96 में डुमरा ,सुपरी,नानपुर,सैदपुर,बाजपट्टी,सुरसंड प्रखंडों के शेष सभी राजस्व ग्रामों को आच्छादित करने का लक्ष्य है ।

7. वर्ष 96-97 में शेष सभी प्रखंड यथा शिवहर {कटसरी सहित}, पिपराही {पुरनहिया सहित}, तरियानी, बलसंड, मेजरगंज, बैरगनिया एवं बथनाहा ।

बिहार शिक्षा परियोजना के बाद का प्रभाव

1997 में जब बिहार शिक्षा परियोजना का कार्यकाल समाप्त होगा तब इस जिले की अभिवंचित वर्ग की महिलाओं में इतनी जागृति आ गई रहेगी कि वे बच्चो को प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा के प्रति सजग रहेगी तथा विकास के कार्यो में रुची लेकर समाज को इसका लाभ दिला पायेगी ।

ग्राम विस्तार

वर्ष 93-94 की उपलब्धि को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 120 ग्रामों की महिलाओं में जागृत्ति आई है । शिक्षा के प्रति सम्मान पैदा हुआ है । अब वे विकास की मुख्य धारा में अपने आपको जोड़ना चाहती है ।

बिहार शिक्षा परियोजना का इम्पैक्ट उन ग्रामों पर भी अच्छा हो । इसी उद्देश्य से वर्ष 94-95 में रीगा एवं सोनबरसा प्रखंड जहाँ पूर्व से यह कार्यक्रम 10-10 ग्रामों में चलाया जा रहा है के सभी राजस्व ग्राम एवं उनके टोलों में भी विस्तार करने का लक्ष्य है ।

रीगा प्रखंड में महिलासमाख्या, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की देख-रेख करती है । इस प्रखंड के उन ग्रामों में भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं जहाँ अबतक समूह निर्माण

(3)

महिला समाख्या द्वारा गठित समूह की प्रायः सभी महिलायें अभिवंचित वर्गों की ही होती है तथा उनके काम काजी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जाती है । इसलिए पूरे प्रखंड केसभी ग्राम/टोलाकं में समूह का निर्माण आवश्यक हो गया है । इसलिए इस प्रखंड के शेष 33 राजस्व ग्रामों में महिला समाख्या का विस्तार किया जा रहा है ।

सोनवरसा प्रखंड

सोनवरसा प्रखंड में भी महिला समाख्या के प्रयास से 10 ग्रामों में शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य प्राप्त किया गया है । महिला समाख्या की की सहयोगिनी एवं सखी अन्य ग्रामों में सहयोग लेकर नामांकन कराकर वृध्दि कराई गई है ।

इस प्रखंड में 9-14 वर्ष की बालिकायें घरेलू कार्यों में माँ का सहयोग करने के कारण निरक्षर रह जाती है । समूहों द्वारा लगातार माँग किये जाने तथा जिला स्तरीय कोरटीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण उनके औचित्य को तर्कसंगत पाये जाने पर बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा जगजगी केन्द्र की स्थापना की गई है ।

जिनमें 250 बालिकायें शिक्षा प्राप्त कर रही है । इस नयी व्यवस्था का प्रभाव अन्य ग्रामों की महिलाओं पर पड़ा है । वे भी स्थानीय स्तर पर सहयोगिनी एवं आस-पास की सखियों से लगातार अनुरोध करती है कि उनकी बच्चियों पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर जिला कोरटीम ने यह महसूस किया है कि सोनवरसा प्रखंड की महिलाओं की जागरूकता को देखते हुए इस प्रखंड के शेष सभी ग्रामों में समूह निर्माण किया जाय । तद्नुरूप वर्ष 94-95 की कार्य योजना में इस प्रखंड के शेष सभी ग्रामों को महिला समाख्या से आच्छादित करने का लक्ष्य है ।

2. सहयोगिनी चयन/ सखी चयन/समूह गठन

चूँकि 85 गाँव का प्रस्ताव है इसलिए 8 सहयोगिनी एवं 170 सखी के चयन किये जाने का प्रस्ताव है । गाँवों में समूह की पहचान की प्रक्रिया में ही 10 गाँव के प्रत्येक संकुल में से एक-एक प्रखंड पढ़ी लिखी महिला को चिन्हित कर उसका चयन विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जायेगा । इसके साथ ही प्रत्येक गाँव के अभिवंचित वर्ग के महिलाओं ने समूह के प्रतिनिधित्व हेतु दो-दो महिलाओं को सखी के रूप में चयन किया जायेगा ।

	I	II	III	IV
सहयोगिनी चयन	x	x	8	x
समूह गठन	10	25	30	20
सखी चयन	20	50	60	40

3. प्रशिक्षण-सखी + सहयोगिनी

महिला समाख्या के कार्यों को ग्राम स्तर तक पहुँचाने के साथ ही महिला समाख्या कार्यक्रम के उद्देश्यों को वहाँ तक पहुँचाने एवं उन्मुखीकरण हेतु सहयोगिनी एवं सखी का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है :-

	I	II	III	IV
प्रशिक्षण सहयोगिनी	×	×	एक प्रशिक्षण 3दिन का जिला कोर ग्रुप द्वारा	10दिन का एक प्रशिक्षण

	I	II	III	IV
सखी प्रशिक्षण	1	2	2

4. कार्यरत सहयोगिनी/रिफ्लेक्शन बैठक/कार्यशाला/प्रशिक्षण

जिला कोर ग्रुप टीम के साथ कार्यरत एवं नयी सहयोगिनी का प्रत्येक माह के अंत में दो दिन का रिफ्लेक्शन बैठक आयोजित होगा जिसमें कार्यक्रम की समीक्षा के साथ-साथ क्वार्टर वाइज क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाकर उनसे सम्बन्धित विषयों का प्रशिक्षण सहयोगिनी को दिया जाएगा ।

I	II	III	IV
5	3	3	3

(यह दो दिवसीय होगा)

5. कार्यरत सखी प्रशिक्षण

पुराने 120 गाँव की सखियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण वर्ष 93-94 में दिया जा चुका है । इन्हीं सखियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 94-95 में 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

	I	II	III	IV
प्रशिक्षण	2	2	1	

6. गठित समूह

वर्ष 93-94 के कार्य अनुभव के आधार पर देखा गया है कि गठित महिला समूह का कार्यशाला होना आवश्यक है। क्योंकि किस मुद्दे को कैसे उठाना चाहिए एवं उसपर समूह द्वारा कार्य कैसे किया जाना चाहिए इन सभी बातों की जानकारी देना जरूरी है । यह कार्यशाला दो गाँव के समूह के साथ उनके नजदीकी स्कूल या पंचायत भवन में किया जाएगा । इस कार्यशाला में दो गाँव की महिला समूह की सभी सदस्या/सखी/सहयोगिनी भाग लेगी । यह कार्यशाला दो दिन का होगा। परन्तु आवासिय नहीं ।

	I	II	III	IV
	×	20	20	20

(5)

7. जगजगी केन्द्र

जगजगी केन्द्र के अन्तर्गत 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को शिक्षा का प्रावधान है । साथ ही महिलाओं के लिए साक्षरता शिक्षा का प्रावधान है । जगजगी केन्द्र के लिए अनुदेशिका "सहेली" का चयन महिला समूह, सहयोगिनी एवं जिला कोर टीम द्वारा किया जाएगा । इनका प्रशिक्षण महिला समाख्या कोर टीम एवं बिहार शिक्षा परियोजना के जिला अनौपचारिक शिक्षा के प्रभारी के सहयोग से दिया जाएगा । प्रशिक्षण अवधि, स्थान, पाठ्यक्रम इत्यादि जिला बिहार शिक्षा परियोजना के एन०एफ०ई० आयामों के रास्तों के आधार पर होगी । सहेली शिक्षार्थी को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ महिलाओं से संबंधित जानकारियाँ भी देगी ।

वर्ष 94-95 में 150 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । जिसमें रीगा के सभी गाँव में महिलाओं के लिए एवं सोनबरसा प्रखंड के सभी गाँव में साथ ही कार्यरत गाँव में खोलने का प्रस्ताव है ।

	I	II	III	IV
सहेली चयन	25	25	50	50
प्रशिक्षण	1	2	2	2

8. महिला कुटीर

महिला समाख्या के अन्तर्गत गठित महिला समूह को बैठक करने हेतु एवं जगजगी केन्द्र के बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए गाँव में महिला कुटीर का निर्माण करना अत्यंत जरूरी है ऐसा महसूस किया गया है । महिला कुटीर हेतु स्थल चयन महिला समूह द्वारा किया जाएगा । उसकी लिखित स्वीकृति अंचलाधिकारी से लेकर ही निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा ।

- महिला कुटीर 15x15 का होगा ।
- इसके लिए 3.4 डिसमिल जमीन
- कुटीर पक्का का होगा
- कुटीर के बाहर बरामदा
- एक चापाकल
- शौचालय
- श्रमदान के रूप में कुल निर्माण खर्च का लगभग एक तिहाई भाग महिला समूह को वहन करना होगा ।
- इस कुटीर का लागत 43675 रुपया है ।

कुटीर निर्माण का पूरी जबावदेही महिला समूह की महिलाओं की होगी । इसकी मुनिटरिंग सहयोगिनी/सखी महिला समूह द्वारा किया जाएगा ।

वर्ष 94-95 में 15 महिला कुटीर खोलने का प्रस्ताव है ।

I	II	III	IV
-	5	5	5

9. रिसोर्स सेन्टर हेतु पुस्तकालय

महिला समाख्या रिसोर्स सेंटर जिला कोर टीम, सहयोगिनी, सहेली एवं सखी के बैठकों, प्रशिक्षणों और अन्य गतिविधियों का स्थान है । जहाँ समय-समय पर आवासीय कार्यक्रम आयोजित होती है । अत: उनकी जानकारियों को बढ़ाने

और दुनिया की गतिविधियों को जानने के लिए रिसोर्स सेन्टर में एक पुस्तकालय के गठन का वर्ष 94-95 में लक्ष्य है ।

10. प्रशिक्षक दल का गठन

महिला समाख्या की गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही साथ प्रशिक्षण के कार्य भी बढ़ते जा रहे हैं । अतः जिला स्तर पर एक प्रशिक्षक दल का गठन वर्ष 94-95 में किये जाने का लक्ष्य है । जिसमें 5 महिला प्रशिक्षक टीम में होंगी ।

11. सांस्कृतिक दल का गठन

वर्ष 94-95 में जिला स्तर पर सहयोगिनी, सखी एवं महिला समूह के कुछ सदस्यों को लेकर एक सांस्कृतिक दल का गठन द्वितीय क्वाटर में करने का प्रस्ताव है । यह सांस्कृतिक दल स्थानीय कलाओं जिसमें लोकगीत, नुक्कड़, नाटक, भजन आदि की तैयारी और इसके साथ-साथ इसके माध्यम से ही वातावरण निर्माण का कार्य करेगा ।

12. पत्रिका, कैसेट, पठन पाठन सामग्री

महिला समाख्या की गतिविधियों और गाँव में घटने वाली घटनाओं एवं उसके ऊपर महिला समूहों द्वारा लिए गए निर्णयों को महिला समूह द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों को "जुनु बहिना" पत्रिका के माध्यम से लिपिबद्ध कर गाँवों में महिलाओं तक पहुँचाने एवं उनमें साक्षरता की ललक जगाने के उद्देश्यों से पत्रिका, जागनी केन्द्र की बालिकाओं और महिलाओं को उनके जीवन से जुड़ी शिक्षा देने के उद्देश्य से साथ ही सखी, सहयोगिनी और महिला समूह द्वारा बनाये और गाये गीतों के संग्रह को एक कैसेट के रूप में तैयार करने का 94-95 में लक्ष्य है ।

13. बचत कोष

वर्ष 93-94 में 70 महिला समूह द्वारा बैंक में बचत कोष खोला गया है। वर्ष 94-95 में 50 बचत कोष और खोलने का प्रस्ताव है ।

14. शिक्षण सामग्री की आपूर्ति

बिहार शिक्षा परियोजना के तहत जो शिक्षण सामग्री महिला समूहों द्वारा निर्माण कर आपूर्ति की जा सकती है। उनका प्रशिक्षण महिला समूहों को दिलवा कर उसकी आपूर्ति समूह की जायेगी ।

15. <u>कार्यशालायें</u>

वर्ष 94-95 में विभिन्न विषयों पर कार्यशाला करने का प्रावधान है ।

कार्यशाला	संख्या	स्थान
शिक्षिकाओं के साथ	6	प्रखंड स्तर पर
अभिभावकों के साथ	200	गाँव स्तर पर
महिला दिवस	11	जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर
महिला सम्मेलन	11	जिला स्तर पर
बालिका मेला	12	प्रखंड स्तर पर
माँ-बेटी मिलन	12	प्रखंड स्तर पर
जगजगी दिवस	11	जिला स्तर पर
साक्षरता दिवस	11	जिला स्तर पर

<u>वर्ष 94-95 की मुख्य झलकें</u>

गाँव विस्तार ----------------	85
सहयोगिनी चयन/प्रशिक्षण ----------	8
सखी/चयन/प्रशिक्षण ------------	170
बचत कोष ------------------------	50
जगजगी केन्द्र ----------------------	150
महिला कुटीर निर्माण ------------	15
महिला समूह गठन ----------------	85
ड्वाकरा के द्वारा महिलाओं को लाभ -	40
पुस्तकालय का निर्माण	1

वातावरण निर्माण एवं लोक भागीदारी

प्रगति प्रतिवेदन (1993-94)

बिहार शिक्षा परियोजना सीतामढ़ी में वातावरण निर्माण एवं लोकभागीदारी कम्पोनेन्ट लोगों में बिहार शिक्षा परियोजना के प्रति आस्था उत्पन्न करने तथा शिक्षा को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यक आवश्यकता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देने को कृत संकल्प है।

वर्ष 1993-94 में वातावरण निर्माण एवं लोक भागीदारी द्वारा किए गए कार्य तथा उपलब्धियां :-

(1) बाल मेला :- वर्ष 1993-94 में वातावरण निर्माण द्वारा अबतक 6 प्रखंडों में मुख्यालय स्तर पर बाल मेला का आयोजन किया जा चुका है। एक बाल मेला में 20 विद्यालयों ने भाग लिया। बच्चे 5की0मी0 तक की दूरी से कतारबध्द होकर बिहार शिक्षा परियोजना के नारे लगाते हुए आ रहे थे। मेला में उन्हें शिक्षा की आवश्यकता तथा स्वनिर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया। हर 6 मेलों में कुल 24,000 बच्चे अभिभावक तथा महिलाओं ने भाग लिया।

(2) नामांकन अभियान :- 6-14 वर्ष के बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन हेतु जिला स्तरीय चार नामांकण अभियान दल का गठन किया गया। जिसके तहत 60 केन्द्रों पर शिक्षक/ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा बिहार शिक्षा परियोजना के नामांकन अभियान दल के साथ बैठक हुई। जिसमें शत-प्रतिशत नामांकन, ग्राम शिक्षा समिति की नामांकन में भूमिका, छीजन रोकने के उपाय, लड़कियों का नामांकन आदि विषयों पर चर्चा हुई तथा उपाय सुझाए गए।

(3) सांस्कृतिक कार्यक्रम :- वर्ष के प्रमुख दिवसों यथा 15अगस्त, 26-जनवरी, 8सितम्बर तथा 14नवम्बर को सांस्कृतिक दल उप समिति के द्वारा शिक्षा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें जिले के प्रमुख अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

(4) शिक्षा यात्रा :- 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना के वातावरण निर्माण कम्पोनेन्ट द्वारा सीतामढ़ी में तथा विभिन्न प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षा यात्रा तथा झांकी निकाली गयी। शिक्षा यात्रा का नेतृत्व समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा ने किया।

(5) 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर राजेन्द्र भवन में जिला अराजपत्रित प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा "अभिवंचितों के लिए शिक्षा हमारा दायित्व" एवं "नारी शिक्षा एवं चुनौती" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन शिक्षा राज्य मंत्री श्री कैफी अहमद कैफी ने किया।

(6) वीडियो यान द्वारा प्रदर्शन :- वातावरण निर्माण में मोबाइल वीडियो यान की प्रमुख भूमिका रही। फरवरी तथा मार्च महीने में वीडियो यान द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र तथा कम नामांकन वाले विद्यालयों से संबंधित गांवों में कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। 2 महीने की अवधि में वीडियो यान के द्वारा 30,000 लोगों को सीधा बिहार शिक्षा परियोजना से जोड़ने का प्रयास किया गया। महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई।

(7) पत्रिका प्रकाशन :- सीतामढ़ी की जनता को बिहार शिक्षा परियोजना की गतिविधियों की जानकारी देने हेतु परियोजना द्वारा एक मासिक पत्रिका "भोर" का प्रकाशन किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य अखबारों तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी बिहार शिक्षा परियोजना से संबंधित गतिविधियों के समाचार छपे हैं।

§2§

§8§ इप्सा डिवीजन द्वारा "साम्प्रदायिक सद्भाव तथा सबके लिए शिक्षा" पर आधारित नाटकों का कार्यक्रम जिले के 7 प्रखंड मुख्यालयों में सम्पन्न किया गया । इस कार्यक्रम के दौरान "निबंध लेखन" प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया । यह कार्य जुलाई 93 महीने में एक सप्ताह में आयोजित किया गया ।

§9§ प्रदर्शनी :- रामनवमी तथा विवाह पंचमी मेला में तथा अन्य परंतु मेलों के अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा गतिविधियों के प्रदर्शन हेतु स्टॉल लगाया गया ।

§10§ साप्ताहिक प्रदर्शनी :- सितम्बर93 माह में नेहरू भवन में एक सप्ताह के लिए बिहार शिक्षा परियोजना के क्रिया-कलापों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । इस प्रदर्शनी को देखने दूर-दराज के गावों से लोग आये ।

§11§ पूरे वर्ष वातावरण निर्माण के लिए कार्यशाला का आयोजन होता रहा । वातावरण निर्माण उप समिति के सदस्यगणों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अभिवंचितों में जागृति पैदा करने का कार्य किया ।

वातावरण निर्माण एवं लोक भागीदारी

कार्य योजना - 1994-95

बिहार शिक्षा परियोजना का मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण है । शिक्षा के माध्यम से सामाजिक/सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव लाकर अभिवंचित वर्ग में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करना है । इन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने हेतु वातावरण निर्माण एवं लोक भागीदारी कम्पोनेंट व्यापक कार्य कर रहा है । इस कम्पोनेन्ट का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है कि परियोजना अवधि के बाद भी लोगों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि बनी रहे तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित रहे ।

इसी क्रम में वर्ष 1994-95 की कार्य योजना को चार चरणों में बांटकर पूरा करने का निश्चय किया गया है ।

प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण
अप्रैल	जुलाई	अक्टूबर	जनवरी
मई	अगस्त	नवम्बर	फरवरी
जून	सितम्बर	दिसम्बर	मार्च

प्रथम चरण में स्थल, व्यक्ति, योजना, राशि, कार्यक्रम आदि का निर्धारण तथा चयन किया जाएगा ।

द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरण में इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा निरीक्षण किया जाएगा । इस तीन चरण में 1994-95 में निम्न कार्यक्रमों द्वारा वातावरण निर्माण का प्रयास किया जाना है ।

§1§ बाल मेला :- जुलाई से लेकर मार्च तक जिले के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों से दूरस्थ गांवों में एक मध्य विद्यालय को केन्द्र मानकर 20 विद्यालय से छात्र छात्राओं को जुलूस की शक्ल में बिहार शिक्षा परियोजना के नारे लगाते हुए इकट्ठा किया जाएगा । इनके द्वारा लगाए गए स्लोग से इनमें आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होगी ।

§2§ सांस्कृतिक कार्यक्रम :- विभिन्न अवसरों पर यथा- गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, बाल दिवस, महिला दिवस, गांधी जयन्ती, स्वतंत्रता दिवस आदि महत्वपूर्ण दिवसों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जनसामान्य को बिहार शिक्षा परियोजना के उद्देश्यों से परिचित कराया जाएगा।

§3§ खोलकूद :- नवम्बर से फरवरी माह तक विभिन्न विद्यालयों में खोलकूद का आयोजन किया जाएगा ।

§4§ वीडियो फिल्म :- पूरे वर्ष में परियोजना से संबंधित विभिन्न कम्पोनेन्ट के कार्यक्रमों पर विडियो ग्राफी किया जाएगा तथा वर्ष के अन्त में इनसे 15-16 वृत चित्र का निर्माण किया जा सकेगा

§5§ आडियो टेप :- सांस्कृतिक कार्यक्रमों या अन्य अवसरों पर साक्षरता गीत आदि की टेप कर अन्य अवसरों पर सुनाया जा सकता है ।

§6§ प्रेस के साथ हरेक महीने एक नेटवर्क का आयोजन किया जाएगा । जिसमें प्रेस को परियोजना की गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा ।

§7§ स्लाइड :- पूरे वर्ष में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा किए गए कार्यों तथा कार्यक्रमों पर कम से कम 400 स्लाइडों का निर्माण कराया जाएगा। जिसे उपलब्धियों के दृश्य आंकड़े के रूप में संचित किया जा सकता है ।

§8§ विभिन्न स्थानीय मेलों तथा पशु मेलों में प्रदर्शनी के लिए सामग्री तैयार की जाएगी ।

§9§ सप्ताह के हरेक वृहस्पतिवार को वातावरण निर्माण के द्वारा ग्राम बैठकें आयोजित कर लोगों को बिहार शिक्षा परियोजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों, तथा कार्यों से परिचित कराया जाएगा ।

स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर जिले के प्रमुख व्यक्तियों को बिहार शिक्षा परियोजना की गतिविधि से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा । शिक्षा तथा साक्षरता के गीतों पर आधारित कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर, वाल राईटिंग, स्टीकर आदि बनवाया जाएगा।

जिले की सीमा पर तथा बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निर्मित विद्यालय भवन के बाहर सड़क पर बिहार शिक्षा परियोजना का साइन बोर्ड लगाया जाएगा ।

सीतामढ़ी जिले की मासिक पत्रिका भोर का प्रकाशन चालू रहेगा तथा इसके स्तर में उन्नयन का प्रयास किया जाएगा ।

नुक्कड़ नाटकों के लिए तथा कठपुतली कार्यक्रमों लिए टीम का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा । तदुपरान्त इन कार्यक्रमों का आयोजन मेलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कराया जाएगा ।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को बिहार शिक्षा परियोजना सीतामढ़ी से संबंधित नारे तथा प्रचार सामग्री उपलब्ध करा निश्चित अवधि पर प्रसारित करवाया जाएगा ।

सिनेमा हॉल में स्लाइड भेजकर बिहार शिक्षा परियोजना सीतामढ़ी का प्रचार करवाया जाएगा ।

वातावरण निर्माण तथा लोक सहभागीदारी कम्पोनेन्ट की इस पूरी कार्य योजना पर कार्य निर्धारित कर इसके क्रियान्वयन के लिए व्यक्तियों तथा संगठनों की पहचान, उनकी भूमिका का निर्धारण तथा उनका पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराना होगा । शैक्षिक संगठन, स्वैच्छिक संस्थाएँ तथा सांस्कृतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ।

इस सतत् और निरंतर चलने वाली वातावरण निर्माण की प्रक्रिया की सफलता ही बिहार शिक्षा परियोजना के उद्देश्यों को सार्थक बना सकती है, क्योंकि यह कम्पोनेन्ट बिहार शिक्षा परियोजना के क्रियाकलापों के सभी आयामों को गति प्रदान करने वाली सतत् प्रक्रिया है ।

कमजोरियाँ

- बाढ़ एवं साम्प्रदायिक दंगा के कारण कार्यान्वयन में बाधा
- प्रारम्भ में कार्यदल के सदस्यों का निरन्तर बदलाव
- अपर्याप्त आधारभूत विद्यालय (भवन), चापाकल, श्यामपट्ट शौचालयों की दयनीय स्थिति
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं डायट संकाय का अभाव
- शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या में पदस्थापन, विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों की कमी ।
- स्वयं सेवी संस्थाओं का अभाव
- गरीबी के साथ-साथ भूमिहीन कृषक मजदूरों का प्रवसन
- पूर्व के अनौ0 शिक्षा कार्यक्रम की दुःस्थिति के कारण ग्राम शिक्षा समिति की सहभागिता में हिचकिचाहट के फलस्वरूप अनौपचारिक शिक्षा का विलंबित कार्यान्वयन
- प्रथम पीढ़ी के पढ़नेवालों के लिए विशेषरूप से सामाजिक आर्थिक अवरोध (समाज में धनाढ्यों एवं शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा प्रतिरोध)
- बढ़ी हुई संख्या में नामांकन के कारण विद्यालयों में समायोजन का अभाव
- नीति सम्बन्धी बाधा यथा केवल निश्चित खंडों को शिक्षण उपकरण (किट्स) का वितरण, शाला भवनों के निर्माण में मिडल स्कूलों को छोड़ना, भवन निर्माण पर 24% का सीमा निर्धारण
- सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षणकी सुविधा का अभाव
- लड़कियों का बाल विवाह
- स्त्री शिक्षा का अभाव
- प्रखंड स्तरीय प्रबंधन संरचना का अभाव
- लोगों की मानसिकता है कि "शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए मार्ग दर्शन नहीं करती" ।
- ग्राम शिक्षा समिति के गठन की पद्धति के निरूपण में विचलन एवं अबतक ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों के लिए प्रशिक्षणका अभाव
- समेकित बाल विकास योजना के साथ निकृष्ट समबद्धता
- तुच्छ अनुवर्ती प्रशिक्षण/बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक
- आधारभूत अनौपचारिक शिक्षा का तुच्छ प्रशिक्षण

परियोजना के दौरान मजबूतियाँ एवं कमियाँ

मजबूतियाँ

- समुदाय की सक्रिय भागीदारी ।
- बिहार शिक्षा परियोजना के सभी कार्यकलापों में ग्राम शिक्षा समितियों की भागीदारी ।
- प्रशिक्षण के उपरान्त शिक्षकों का समर्पण एवं प्रायोजन ।
- प्राथमिक औपचारिक शिक्षा के प्रति सभी कार्यकर्त्ताओं/ अधिकारियों की दृढ़ वचनबद्धता ।
- विद्यालयों की गहन निरीक्षण पद्धति ।
- योजना एवं इसके कार्यान्वयन के लिये शिक्षाविदों, पत्रकारों एवं बुद्धिजीवियों की सहभागीता ।
- पाठशाला भवनों के निर्माण में 20 प्रतिशत लोकभागीदारी ।
- दूसरी विकास योजनाओं के साथ परियोजना के घटकों के अन्तर्गत अभिसरण एवं अन्तर्सम्बन्ध क्रिया ।
- सरकारी संगठनों के अन्य सत्वों की सहभागिता एवं सहयोग ।
- दल अभिप्रेत कार्य एवं बिहार शिक्षा परियोजना के अधिकारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विद्मान होना ।
- गैर सरकारी संस्थान, कार्यकारिणी समिति एवं सलाहकार समितियों के सदस्यों का सक्रिय एवं सृजनात्मक सहभागीता ।
- सलाहकार समितियाँ, जिला कार्यदल, कार्यकारिणी समिति गुरुगोष्ठी एवं ग्राम शिक्षा समितियों की सतत सहयोग एवं सहभागीता ।
- राजनीतिज्ञों का सहयोग ।
- नामांकन में समुदाय का वृहद् अभिप्रेरणा/प्रायोजन ।
- सशक्त महिला समाख्या दल ।

मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुसंधान :-

बिहार शिक्षा परियोजना की सभी गतिविधियाँ लागू कर दी गयी हैं। उनके परिणामों की जानकारी बराबर मिलती रहे ताकि अपेक्षित कमी को कालान्तर्गत ही पूरा किया जा सके।

[illegible] आठवीं योजना में इसे सुनिश्चित किया गया है कि - ग्राम, ग्राम समूह, प्रखंड और जिला जैसे विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली का विकास किया जायेगा। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली का विकास किया जायेगा। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली के विकास के मार्गदर्शक सिद्धान्त [illegible] न्यूनतम परिणाम देने की क्षमता, सरलता, उपयोगकर्ताओं के प्रति सद्भाव और पारदर्शिता होंगे। न्यूनतम परिणाम देने की क्षमता का तकाजा यह है कि संचालन प्रक्रियाओं के लिए जितने आंकड़े आवश्यक हों, प्रणाली में उनसे अधिक आंकड़े न जमा किया जायें।

[illegible] प्रबंधन को भागीदारी मूलक प्रकृति को देखते हुए प्रणाली को सरल, स्पष्ट बनाया जायेगा ताकि सूचनाओं का उपयोग हाथ से और संगणक द्वारा भी किया जा सके।

[illegible] अनुश्रवण और मूल्यांकन की एक समुचित पद्धति तैयार करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पद्धति कारगर ढंग से कार्य कर रही है और इसका लाभ अपेक्षित लोगों तक पहुँच रही है। इसके लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन को अनुसंधान आधारित पद्धति के साथ इसे जोड़ा जाय।

[illegible] जिला स्तर पर एक परिवीक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा ताकि परिणामों का विश्लेषण सुनिश्चित हो सके।

[illegible] बि०शि०प० की गतिविधियों के लिए जो कार्यक्रम बनाया जाय उनका नियमित अंतराल में कार्यस्थल पर समीक्षा हो एवं अनुभवों से लाभ लेकर व्यवस्था को सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाया जाय।

[illegible] प्रशिक्षण के पश्चात् कक्षा में शिक्षकों के अध्यापन कार्य में सुधार आया है या नहीं, इसका पता लगाना होगा कि किन अनुकूल परिस्थितियों की ओर प्रशिक्षण में विशेष ध्यान [illegible] देना होगा।

[illegible] प्राथमिक औपचारिक शिक्षा में इसके लिए निरीक्षण कोषांग की स्थापना की गयी है। प्रखंडों में विभिन्न कार्य [illegible] के गहन निरीक्षण हेतु विभिन्न पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त की गयी है।

[illegible] बिहार शिक्षा परियोजना इसके साथ-साथ ही एक अनुसंधान इकाई की आवश्यकता महसूस करती है। वर्ष ९०-९१ में इस कमी को पूरा करने का प्रस्ताव है। वर्ष ९१-९२ में मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुसंधान हेतु जिला स्तर [illegible] एवं प्रखंड स्तर पर एक दल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक चार-पाँच पंचायतों पर एक [illegible] होंगे जो इन पंचायतों के अंतर्गत की गतिविधियों की जानकारी बि०शि०प० [illegible] प्रखंड कार्यालय को देते रहेंगे तथा बि०शि०प० की गतिविधियों की जानकारी [illegible] शिक्षा समिति के सदस्यों को भी देते रहेंगे। इस दल में जिले के शिक्षाविदों एवं प्रशासनिक पदाधिकारी को सम्मिलित करने का लक्ष्य है जिन्हें बिहार शिक्षा परियोजना के सभी अध्यायों विशेषकर प्राथमिक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, महिला समाख्या, प्रशिक्षण एवं वातावरण अध्यायों के संबंध में समीक्षात्मक प्रतिवेदन समय-समय पर प्रस्तुत कर सकें। बि०शि०प०सीतामढ़ी उनके मंतव्यों को आधार मानकर आगे कार्रवाई करेगी। इसका परिणाम होगा कि सन् १९९७ में जब बि०शि०प० का कार्यकाल समाप्त हो तबतक अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति अभिव्यक्तों को प्राप्त हो [illegible] जाय।

प्रखंड कार्यालय :-

[illegible] प्रखंड स्तर पर बि०शि०प० के कार्यक्रमों के अनुश्रवण, समन्वय एवं देखरेख

हेतु प्रखंड कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की जा रही है, चूंकि मुख्यालय से ऐसा कार्यक्रमों को पूर्णरूपेण देखरेख संभव नहीं प्रतीत होता । प्रखंड स्तर पर भी वहां के शिक्षाप्रेमियों, प्रबुद्धजनों को जोड़ा जाना जरूरी है ताकि वह बि०शि०प० के कार्यक्रमों की देखरेख, समालोचना का कार्य कर सके एवं प्रखंड की विशेष आवश्यकताओं, विशेषताओं एवं संभावनाओं के अनुरूप परियोजना की कार्यक्रमों को ढालने तथा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सके । इस दल के प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी संयोजक होंगे । प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी जैसे अंचल अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कनीय अभियंता उसके सदस्य होंगे । प्रखंड के सभी शिक्षा कर्मी (ग्राम-ग्राम पंचायतों पर पदस्थित) भी उसके सदस्य होंगे । इसके अलावा उसमें प्रखंड के प्रमुख, २ शिक्षाप्रेमी, १ प्रखंड स्तरीय शिक्षक के प्रतिनिधि एवं अभिवंचितों/महिलाओं/वर्गों के प्रतिनिधि होंगे । इसमें महिलायें भी उनकी सदस्यायें होंगी । इसका स्वरूप पूरा अवैतनिक होगा । यह बि०शि०प० के कार्यक्रमों की अनुश्रवण, उनके प्रचार, ग्राम समुदाय से फीडबैक प्राप्त कर परियोजना तक पहुँचाने एवं परियोजना को नवाचारों एवं कठिनाईयों, कमियों के बारे में सुझाव प्रदान करेगा।

मोनिटरिंग एवं इभेलुएशन :-

बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यकलापों की विद्यालयों में निरीक्षण हेतु परियोजना कार्यालय में निरीक्षण कोषांग की स्थापना है जिसके अनुसार जिले के सभी विद्यालयों को ८० टोलों में बांटकर सघन निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है । इसके लिए निरीक्षण प्रपत्र बना हुआ है । निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इसे भरकर बिहार शिक्षा परियोजना में भेजा जाता है । इसके निरीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जाती है ।

निरीक्षण के क्रम में प्राप्त होनेवाले प्रतिवेदन को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जाता है जिसे शिक्षा स्थापना समिति आदि की बैठकों में उपयोग में लाया जाता है ।

प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति एवं प्रधानाध्यापक को परियोजना के तरफ से पोस्टकार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा जिनके माध्यम से वे परियोजना से सीधे सम्पर्क कर सकेंगे । जिला स्तर पर निरीक्षण कोषांग में इसका समुचित संधारण एवं समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन का फीडबैक के लिए एक प्रपत्र बनाया जायेगा जिसमें विद्यालयों से संबंधित गतिविधियों की सूचना, शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित सूचना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र से संबंधित सूचना, महिला समाख्या की गतिविधियों से संबंधित सूचना एवं विद्यालय को उपलब्ध करवाए गए सामग्रियों के बिन्दुओं पर निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा सूचना एकत्रित की जायेगी और उसका जिला स्तर पर विश्लेषण किया जायेगा ।

इस प्रकार दर्जनों के निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा जिले के सभी विद्यालयों/गांवों में परियोजना के कार्यों की गतिविधियों की सूचना प्राप्त हो सकेगी। जिला स्तर पर प्राप्त होनेवाले इन सूचनाओं के आधार पर यदि कोई सैद्धान्तिक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तो लिया जायेगा एवं अलग-अलग मामलों में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी । इस प्रपत्र को कम्प्यूटर में इन्टर करने की व्यवस्था भी की जायेगी जिससे मासिक तौर पर समीक्षा संभव हो

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, महिला समाख्या एवं शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित फीडबैक प्राप्त करने हेतु एक सम्मिलित प्रपत्र बनाया जायेगा जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से सूचना प्राप्त की जायेगी जिससे इन तीनों कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जा सके ।

अनुसूची - 1 - 57-

बिहार शिक्षा परियोजना सीतामढ़ी
जिले के भवनहीन विद्यालयों की सूची

5 प्रखंड रून्नीसैदपुर

1. प्रा०वि० गिद्धा फुलवरिया
2. ,, ,, बतरौली
3. ,, ,, फोताटोला
4. ,, ,, हरदिया टोला
5. ,, ,, भारती कन्या
6. ,, ,, गाढ़ा कन्या
7. ,, ,, धरमी निस्फ
8. ,, ,, धोपी एलची
9. ,, ,, दिलावरपुर
10. ,, ,, माधोपुर राज्नाथी कन्या
11. ,, ,, बघारी कन्या
12. ,, ,, बघारीगढ़
13. ,, ,, सीताराम्पुर
14. ,, ,, गंगवाराटोला
15. ,, ,, मनन्पुर
16. ,, ,, गायघाट कन्या
17. ,, ,, रैन शंकर
18. ,, ,, बघौनी
19. ,, ,, गजरोहा
20. ,, ,, मोना उर्दू
21. ,, ,, मोना हिन्दी
22. ,, ,, रक्सीया
23. ,, ,, मधौल कन्या
24. ,, ,, गोबिन्द पितौंझिया
25. ,, ,, रामपुर चक्की ।

12 प्रखंड तरियानी

1. प्रा०वि० वृन्दावन बाजार
2. ,, ,, छपरा डीह
3. ,, ,, मुकुन्दपुर छौड़ा टोल
4. ,, ,, गुरहनी
5. ,, ,, सोनबरसा पुरैना स्थान
6. ,, ,, खवडीह
7. ,, ,, बरियारपुर
8. ,, ,, छाती गोनौर राय केटोला
9. ,, ,, गोरीनगर

13. प्रा०वि०, रेवतिया
14. ,, ,, कोहलुरका
15. ,, ,, हुल्तानपुर
16. ,, ,, परम बसंत
17. ,, ,, कैलाही हुल्लाह
18. ,, ,, चक हुल्लाही तेली टोला ।

§3§ प्रखंड पुपरी
---

1. प्रा०वि० केवलपुर
2. प्रा०वि० मेहौल गोट
3. प्रा०वि० नारायणपुर उर्दू
4. प्रा०वि० मिरदी
5. प्रा०वि० सिंहवारा
6. प्रा०वि० कबारी टोला
7. प्रा०वि० मुढ़ई
8. प्रा०वि० सपहा
9. प्रा०वि० विकना
10. प्रा०वि० गुदाला
11. प्रा०वि० परिगामा
12. प्रा०वि० हरदिया संस्कृत
13. प्रा०वि० संघारा
14. प्रा०वि० नागेश्वर स्थान
15. प्रा०वि० पुपरी बाजार
16. प्रा०वि० बेहटा कन्या
17. प्रा०वि० बेहटा कन्या-2
18. प्रा०वि० दामोदर पट्टी ।

§4§ प्रखंड बाजपट्टी
---

1. प्रा०वि०, रघुनाथपुर
2. प्रा०वि० फुलवरिया
3. प्रा०वि० मधौल उर्दू
4. प्रा०वि० सिपाही पट्टी
5. प्रा०वि० वासुदेवपुर
6. प्रा०वि० लालपुर हरिजन
7. प्रा०वि० रतवारा मुस्लिमटोल
8. प्रा०वि० बराहा मनोरथ उर्दू
9. प्रा०वि० बनौलवा
10. प्रा०वि० मधुबनगोट
11. प्रा०वि० मधुबन कन्या
12. प्रा०वि० कचहरीपुर कोरिया
13. प्रा०वि० हुमायूंपुर कन्या

प्रखंड मेजरगंज
===

प्रा०वि० सौली कन्या

2. प्रा०वि० बरहरवा पश्चिम

3. प्रा०वि० सोनौल तक्वाशेख

4. प्रा०वि० विशम्भरपुर नन्हकार

प्रखंड नानपुर
==========

1. प्रा०वि० कोयली पाठक टोल
2. ,, ,, पटगौरा
3. ,, ,, पीपरकला
4. ,, ,, धारापुर
5. ,, ,, मालुआहक
6. ,, ,, गौरी भिकनाथ
xxx ,, ,, बेलसर xxxx
7. ,, ,, रूकसौली
8. ,, ,, इस्लामपुर
9. ,, ,, मानीपुर
10. ,, ,, बहुरार टोल
11. ,, ,, भागवतपुर
12. ,, ,, बासोपट्टी
13. ,, ,, झिटकी
14. ,, ,, नागर
15. ,, ,, बेठौल
16. ,, ,, बेलुआटोल
17. ,, ,, विश्वनाथपुर
18. ,, ,, लोहाठा
19. ,, ,, बेहुआ
20. ,, ,, नानपुर उर्दू
21. ,, ,, नानपुर हरिजन
22. ,, ,, बेगहा
23. ,, ,, गुनौली कन्या
24. ,, ,, सियारी
25. ,, ,, भारती
26. ,, ,, लक्ष्मीनियाटोल
27. ,, ,, मनियाडीह

28. प्रा०वि० चिकना
29. ,, ,, मुसहरी टोल
30. ,, ,, पोखरैरा उर्दू
31. ,, ,, उर्दू कन्या
32. ,, ,, लक्ष्मीपुर
33. ,, ,, भिरहर कन्या
34. ,, ,, सुल्तानपुर कन्या
35. ,, ,, मनियारी सागर
36. ,, ,, खरौली कन्या
37. ,, ,, भादीन
38. ,, ,, डीहपुर हलमापुर
39. ,, ,, सिमरी
40. ,, ,, मानपुर उर्दू कन्या

प्रखंड रीगा
==========
1. प्रा०वि० रीगा कन्या
2. ,, ,, बभनी
3. ,, ,, रेवासीटोला
4. ,, ,, कोयली कांटा
5. ,, ,, भादर संकुल
6. ,, ,, सोनौली महुआ
7. ,, ,, टानुकी
8. ,, ,, डेहरा कन्या
9. ,, ,, मलाहुट
10. ,, ,, सिंगरहरी महुआ
11. ,, ,, लक्ष्मीपुर उर्दू
12. ,, ,, पिपराही उर्दू
13. ,, ,, दुलारपुरी कन्या
14. ,, ,, डफरौलिया टोला
15. ,, ,, पकरी हैदल
16. ,, ,, मलाहुटोली
17. ,, ,, हनुमाननगर
18. ,, ,, बसुवारा

प्रखंड बैरगनिया
===============
1. प्रा०वि० पिपराही जमाल
2. प्रा०वि० मुसहर उर्दू
3. प्रा०वि०डी०ए०वी० बैरगनिया

प्रखंड सोनबरसा

1. प्रा०वि० फतेहपुर
2. प्रा०वि० खूटा
3. प्रा०वि० कन्होली कन्या

प्रखंड सुरसंड

1. प्रा०वि० भुआही
2. प्रा०वि० सुरसंड उत्तरी
3. प्रा०वि० मलाही महादेव स्थान
4. प्रा०वि० मरुकी कुर्मी टोल
5. प्रा०वि० सुन्दरपुर

प्रखंड शिवहर

1. प्रा०वि० ताजपुर टोले सुन्दर
2. प्रा०वि० गोबिनापुर
3. प्रा०वि० गोपैया उर्दू
4. प्रा०वि० रामपुर यदू उर्दू
5. प्रा०वि० सुगिया चनउ टोल
6. प्रा०वि० महुअरिया
7. म०वि० जहाँगीरपुर
8. प्रा०वि० गोसाईपुर कूत
9. प्रा०वि० भगवानपुर भेली
10. प्रा०वि० ओमपुर छपरा
11. प्रा०वि० रोहुआ टोले लखनीन
12. प्रा०वि० पहुआरा
13. प्रा०वि० रहमानपुर उर्दू
14. प्रा०वि० नयागाँव लाल टोला
15. प्रा०वि० नयागाँव गोट
16. प्रा०वि० नयागाँव कन्या
17. प्रा०वि० नयागाँव प्राचीन मकतब
18. प्रा०वि० उदय छपरा
19. प्रा०वि० केशवा कुअरी ।

प्रखंड बेलसंड

1. प्रा०वि० बसौल
2. प्रा०वि० दयानगर कन्या
3. प्रा०वि० भरथारी टोल
4. प्रा०वि० दरियापुर उर्दू
5. प्रा०वि० परसौनी निमाही

प्रखंड परिहार

1. प्रा०वि० इन्दरवा उर्दू कन्या
2. प्रा०वि० सुतिहारा कन्या
3. प्रा०वि० मानिकपुर मुसहरनिया कन्या
4. प्रा०वि० खुरसाहा कन्या
5. प्रा०वि० मरंगा संस्कृत
6. प्रा०वि० महादेवपट्टी उर्दू ।

7. प्रा०वि० सकडंडी उर्दू कन्या
8. प्रा०वि० कोरिया पिपरा कन्या
9. प्रा०वि० खापराहा
10. प्रा०वि० बोखारी
11. प्रा०वि० मारतर
12. प्रा०वि० गम्हरिया
13. प्रा०वि० डुमाही
14. प्रा०वि० बारा उर्दू
15. प्रा०वि० खुरसाहा उर्दू
16. प्रा०वि० लपटाहा उर्दू
17. प्रा०वि० महुआवा उर्दू

प्रखंड डुमरा
============

1. प्रा०वि० पकड़ी कन्या
2. प्रा०वि० भैरोकोठी कन्या
3. प्रा०वि० भैरोकोठी बालक
4. प्रा०वि० मेहसौल हिन्दी
5. प्रा०वि० मेहसौल उर्दू कन्या वार्ड नं०22
6. प्रा०वि० बड़ी बाजार उर्दू वार्ड नं० 12
7. म०वि० जानकी स्थान सीतामढ़ी।
8. प्रा०वि० जानकी स्थान उर्दू
9. प्रा०वि० कोट बाजार वार्ड नं०19
10. प्रा०वि० कोट बाजार वार्ड नं० 17
11. प्रा०वि० कोट बाजार वार्ड नं० 21
12. प्रा०वि० सीतामढ़ी वार्ड नं०9
13. प्रा०वि० कोटबाजार वार्ड नं० 20
14. प्रा०वि० नेहरू अनाथालय
15. प्रा०वि० भवदेपुर कन्या वार्ड नं० 13
16. प्रा०वि० कोटबाजार वार्ड नं० 16
17. प्रा०वि० भवदेपुर बालक उर्दू वार्ड नं० 13
18. म०वि० गीता भवन
19. प्रा०वि० यादवनगर
20. प्रा०वि० रामपुर
21. प्रा०वि० रसलपुर कन्या

प्रखंड बथनाहा
============

1. प्रा०वि० माधोपुर कन्या
2. प्रा०वि० सोनराहा मोड
3. प्रा०वि० हरिछैना
4. प्रा०वि० उर्दू भवानीपुर
5. प्रा०वि० कोदरकट
6. प्रा०वि० हरी
7. प्रा०वि० सुगैना
8. प्रा०वि० ओरलहिया
9. प्रा०वि० गोवरधनपुर
10. प्रा०वि० किशनपुरपुरब
11. प्रा०वि० हाजीपुर
12. प्रा०वि० सौदह
13. प्रा०वि० सहियारा
14. प्रा०वि० शाहपुर कन्या
15. प्रा०वि० शाहपुर शीतलपट्टी, 16. प्रा०वि० मटियार

प्रखंड पिपराही

1. प्रा0वि0 बुनियादगंज
2. प्रा0वि0 ललुआ
3. प्रा0वि0 परिहारा
4. प्रा0वि0 चकरौनौल
5. प्रा0वि0 नरकटिया
6. प्रा0वि0 रतनपुर कन्या
7. प्रा0वि0 काशीपुर
8. प्रा0वि0 बसहिया शेख उर्दू कन्या
9. प्रा0वि0अम्बा नं0-1
10. प्रा0वि0 अम्बा नं0-2
11. प्रा0वि0 महुआवा कन्या ।

BIHAR EDUCATION PROJECT, SITAMARHI

BUDGET FOR THE YEAR 1994-95 AT A GLANCE

Sl. No.	PARTICULARS	Financial year 1994-95	% of the total budget
A.	Total Expenditure:-		
(i)	Project Management (Statement of details attached)	56.55	5.6
(ii)	Primary Formal Education	704.53	70.2
	(Cost/Repair of School Buildings ... ... 306.25 Less 20 % Public Contribution(-) 61.25 Total 245.00 i.e. 24.4 % of total Budget.)		
	(Note:- The amount above 24% would be met out of other Development funds)		
(iii)	Training Programme:-	88.69	8.9
(iv)	Primary Non Formal Education	93.79	9.4
(v)	Literacy	..	
(vi)	Women's Development Programme	31.29	3.1
(vii)	Early Childhood care & Education	02.10	0.2
(viii)	Environment Creation for Education		
(ix)	Culture:Communication and continuing Education	25.98	2.6
(x)	Support to NGOs and Individuals		
	Total:-	1,002.98	100.00

BIHAR EDUCATION PROJECT : SITAMARHI.

BUDGET FOR THE YEAR 1994-95 BASED ON ACTION PLAN.

.No.	CATEGORY		BUDGET ESTIMATION FOR THE YEAR 1994-95.(Rs. in Lakh)
	PROJECT MANAGEMENT		
1.	Salaries/Honorarium/Allowances for Technical/Managerial support & Class IV Staff & Driver.		29.00
2.	Management information & monitoring System Recurring Expenditure on MIS(Floppies Maint.,Printing of Formates etc.)		3.00
3-	Rent,Taxes etc. for Office		2.75
4.	Office Expenditure on Consumables		3.70
5.	Other Administrative Office Expenses (Telephone,Telegramp TA,DA etc.)		12.17
6.	Basic Mobility requirements for Prog. Management & Monitoring. Recurring Non-Recurring.		4.93
7.	ADVOCACY: Office Expenses on A/C of meeting of participatory agency connected with the Project,Other States, Donor Agencies,Experts,NGOs to promote greater understanding of BEP concepts, Project formulation & implementation.		1.00
		SUB TOTAL:-	56.55
	PRIMARY FORMAL EDUCATION		
1.	Workshop on UPE Microplanning,School mapping,VECs & Minimum Level of Learning to initiate microplanning, Rationalisation of teacher Units & at Rs.15000/- per workshop for 40 participants.For VECs 15000x4		0.60
	For MLL		3.98
2.	Comprehensive Benchmark Survey for UPE & EFA (Through mobilisation of community volunteers teachers @Rs.4000/-per block for 4 blocks: 4000X4		00.16
3.	(a)Conferences with Teachers Orgn. to strengnten partnership for Education for All.		00.50
	(b)Workshop for Enrolment Drive and allied activities for UPE	100x500 15000x4	00.50 00.60
	(c)Revitalising the existing and establishing new VECs.	10x200x1216	04.32

CATEGORY	BUDGET EXTIMATION FOR THE YEAR 1994-95(Rs.in Lakh)
Supply of innovative School Equip. and instructional Aids for qualita--tive improvement of Education @Rs.10000/-per School X 723	72.30
Sports Material @Rs.1500/-per school X 723	10.85
Promoting Access/Participation of the Girl Child through support for Teaching/Learning materials(Books, Bags etc.)@Rs.55/-per child for 1,28,731 children	93.52
Promoting access/participation of S.C.,S.T. Boys &s above for 41305X55	
Promoting access & participation of identified disadvantaged group through survey selection & upgradation of selected ASHRAMSHALAS in BEP District	
a. RECURRING- 200X500(for 200 PH person)	1.00
b. NON RECURRING- ANATHALAYA 15X1000	00.15
Writers Workshops for local dialect development for language teaching and curriculum development including field testing @Rs.10000/-per workshop	1.00
Orientation of teachers for improved Science and Math teaching-36X5000	1.80
Establishment of School Libraries Rs.3000/- per school-for 723 school	21.69
Provision of Infrastructure for UPE	
a.Const.of School Building-150X1.775	266.25
b.Repair of School Building-100X0.40	40.00
c.School Ammenities-	
i) Latorine(@17500/P.S)605X17500	105.87
ii) Drinking water @Rs.5000/- 200 H.P. as per Annexure- 200X5000	10.00
d.School furniture @Rs.7200/- X723	52.05
School Health Programme	1.00
School Based Activities	2.00
Black Board to All Schools @300/-per schoolX723X2	4.35
Award to Teachers@500/-per Block 500X18 Teachers	00.09
Assistance to Basic School in BEP District-40000/-X11-	5.50

Sl.No.	C A T E G O R Y	BUDGET ESTIMATION FOR THE YEAR 1994-95 (Rs.in Lakh)
18.	UPE 2000-Preparation of Project Report and Related Activities.	..
19.	Award to Schools @1000/-P.S. 18 X 5 X1000	00.90
20.	Shiksha Kala -100X600X6	3.60
	SUB TOTAL:-	704.58
C.	T R A I N I N G	
1.	In-service Teacher Training(10+11 Days Two Phase Outside DIET	...
2.	In-Service Teacher Training(11days 2nd Course outside DIET)	...
3.	Distribution of Teaching Kits	...
4.	DIETS:	
	i) Strenghthening & Upgradation	34.10
	ii) Management Expenses	10.60
	iii) Programme Activities	
	a. Inset, Training-	29.28
	b. H.M.'s Training-	00.41
	c. Edu.Officers Training-	...
	d. Seminar/Workshop-	00.63
	iv) District Resource Unit(DRU)	05.00
	v) Teacher contact programme-	
	a. Magazine	00.02
	b. Meeting(GURU GOSTHI)	01.00
5.	H.M.'s Training outside DIET	...
6.	Edu. Officers Trg. outside DIET	...
7.	VEC Functionary Training	06.15
8.	Study Tour & Training of Teachers/ Trainers outside Bihar	01.00
9.	Rolling Fund Assistance to SCERT(Trg. of Resource Person in non BEP Dists.)	...
10.	BEP Functionaries Training	00.50
11.	MIS Training-	...
	SUB TOTAL:-	88.69
D.	PRIMARY NON FORMAL EDUCATION	
1.	a. Primary Centres(Honoraria/ Training/Teaching/Learning materials @Rs.1500 (NR)	12.00
	800 @6925 (REC)	55.40
	b. Upper Primary Centres @Rs.1800 (NR)	..
	@Rs.11850 (REC)	..
2.	Workshed @ Rs.15000 X130	19.50

Sl.No.	C A T E G O R Y	BUDGET ESTIMATION FOR THE YEAR 1994-95 (Rs. in Lakh)
3.	Workshops for defining stategies steps,related activities (@Rs.15000/-per W.S.) X 8	01.20
4.	Resource Person Training-	...
5.	Awards to Instructors/Centres (@Rs.500.00)	00.29
6.	Field Visits / Study Tours	02.00
7.	NFE Project Cost (Supervision)	03.40
8.	Strenghening and supporting activities in DRUs and other Resource Centres through materials development & Training	.....
	SUB TOTAL:-	93.79
E.	M A H I L A S A M A K H Y A	
1.	Establishment cost of M.S. component in the BEP Office (Honorarium, Salaries, TA/DA etc.)	...
2.	Rent,Hire Charges etc. on A/C of the Programme.	...
3.	Training (All cost included)	
	a. M.S. Dist. Core Team	...
	b. Sahayoginis	00.36
	c. Sakhis- I Phase	
	d. Sahelis-II Phase	03.30
4.	Workshops/Meetings/Conventions & other M.S. related activities	01.96
5.	Study Tours etc.	00.25
6.	Establishment of Mahila Shikshan Kendra	
	a. NON RECURRING	
	i. Construction,Repair	06.00
	ii. Equipment/Furniture etc.	02.00
	b. RECURRING	
	i. Salary Honorarium	05.13
	ii. TA/DA/Other Expenses	00.45
	iii. Office/Prog.contingency	00.53
	iv. Training Expenses	..
	v. Study Tour etc.	..
	vi. Library	00.50
	Establishment of M.S. Resource Centre	
	a. Recurring	..
	b. Non-Recurring	00.59
	Publications / Documentations	00.02

Sl.No.	C A T E G O R Y	BUDGET ESTIMATION FOR THE YEAR 1994-95 (Rs.in Lakh)
9.	Establishment of Field Centres a. Recurring 120 Centres X 6000/- b. Non-recurring	07.20
10.	Mahila Samakhya Huts. 10 Huts X 30,000/-per hut	03.00
11.	Support to NGOs For M.S. related activities	..
12.	Training Kit for M.S.	...
	SUB TOTAL:-	31.29
F.	EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION	
1.	Pre Primary Centres -@ Rs.13680.00(REC) @ Rs.7320.00 (NR)	... ...
2.	Workshops / Meetings	...
3.	Field Visits / Study Tours	...
4.	Award for best centres	...
5.	Strnghthening of Exixting ICDS Prog.(Trg. & Networking Expense)	... ...
6.	Support for establishing ECCE Resource Centre	...
7.	Sports and Toys for 50 centres including Training & other activities	02.10
	SUB TOTAL :-	02.10
G.	CULTURE, COMMUNICATION & CONTINUING EDUCATION.	
1.	Environment building for EFA/BEP School centered mobilisation package of Balmelas, Puppet Shows, Cultural Shows, Celebration of important days/Competition (Sports/ Cultural Programmes etc.)	05.00
2.	a. Identification & Training of Cultural troups/Local Artists. b. Utilisation of Cultural Troups through workshops, Prod. camps	01.00
3.	Production of AV materials for motivation Education, Training	
	a. VIDEO FILMS -160 X 1500	02.40
	b. AUDIA TAPES -480 X 200	00.96
	c. Posters, Stickers, Banners-100 X 50	00.50
	d. Exhibition Kits- 4 X 50000	02.00
4.	Establishing Communication centre (Purchase of Books, Periodicals, Audio Tapes VEDIO Films etc.)	02.00

Sl.No.	C A T E G O R Y	BUDGET ESTIMATION FOR THE YEAR 1994-95 (Rs. in Lakh)
5.	Publications House Journal/News Letter/ Pamphlets/Booklets etc.	03.40
6.	Networking with other communication/ Media Agencies a. Press (For UPE) b. AIR (Serials on UPE Focus) c. DDK(Girls/Dks.Adv.Sec.) d. Songs & Drama Division e. Others	02.00
7.	Mobilising Media Support At Dist.	...
8.	Establishment of J.S.N.- 14X@14300/-	02.72
9.	Documentation of important BEP Activities (VIDEO/AUDIO/PRINT)	02.00
10.	Monitoring & Evaluation of Communication Activities	...
11.	NGOs Network & Training IEC Support	...
12.	Preparation of Sofware for Mobile VIDEO VAN	02.00
	SUB TOTAL	25.98
H.	SUPPORT OT NGOs & INDIVIDUALS	
1.	Fellowships on Subjects related to BEP objectives.	...
2.	Support to NGOs for Innovative Micro Projects.	
3.	Workshops with NGOs to promote network of voluntary Agencies.	...
4.	Monitoring and Evaluation of Programme Components(Internal)	...
5.	Monitoring & Evaluation of Programme Components (External)	
6.	Assistance to DRUs for Sp.Projs., For DRUs meetings etc.	...
	GRAND TOTAL:-	1002.98

ANNEXTURE OF MANAGEMENT

(Rs. in Lacs)
1994-95

1.	Salary/Honourarium/Allowances for Technical/Managerials Support & class IV staff & Driver(Statement enclosed)	29.00
2.	Management information & Monitoring System.	
	A) Non-reccuring expenditure on	
	(a) Software development and procurement for programme monitoring office management.	1.00
	(b) Basic Hardware requirement.	1.00
	B) Recurring expenditure on M/S(Flopping Etc and maintainance.	1.00
3.	A) Rent Rates & Taxes for office Establishment.	0.75
	B) Office building maintenance.	2.00
4.	A) Office expenditure on consumables (Stationary etc.)(based on last year expenditure).	3.20
	B) Office expenses.	0.50
	C) Meeting expenditure	0.32
	D) Postage	0.30
	E) Maintenance of office Equipment	0.35
	F) Electric Charge	0.45
	G) Office and Project Contingency at Distt. Level.	1.00
	H) Repair and maintenance of office building, furniture etc.	0.50
	I) Entertainment expences.	1.50
5.	A) Telephone	1.00
	B) Basic requirement for office ferniture chairs, tables, cup boards, cabinets etc.	1.50
	C) Basic requirement for office equipment type-writers etc.	0.50
	D) On account of equipment and other supply items not covered;	1.50
	E) Payment for professional and special services.	0.75
	F) Publicity and publication.	0.75
	G) T.A. within India abroad.	0.75
	H) Scholarship and stipent.	0.50
	I) Grants and Aids.	0.50

(2)

6.	A) Petrol(including Non-B.E.P. Vehicle)	4.18
	B) Basic mobility requirement for Programme management & monitoring.	0.75
7.	Advocacy office expenditure on Account of meeting of participatory agencies connected with the project other states donar agencies expenditure NGO to Promote greater understanding on B.E.P. concept.	1.00
		56.55

बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन मद पर होने वाले व्यय की विवरणी ।

क्रमांक	पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम		वेतन	कुल राशि
1.	श्री	दिलीप कुमार, प्रभारी पदा० अनौपचारिक शिक्षा (डी. ई. पी.)	2,275/-	5,618/-
2.	श्री	उमेश मिश्र, लेखापाल (व. प्र० को० सहायक)	2,300/-	5,714/-
3.	श्री	राजकमल सिंह, रोकड़पाल (व० प्र० को० सहायक)	2,300/-	5,714/-
4.	श्री	बद्रीनाथ झा, आशु० लि० क० प्र० को०	2,050/-	5,336/-
5.	श्री	शिव शंकर प्रसाद क० प्र० को० सहायक	1,850/-	4,527/-
6.	श्री	इन्द्रजीत कुमार लाल, सहायक	1,440/-	3,740/-
7.	श्री	अरविन्द कुमार वर्मा, सहायक	1,290/-	3,452/-
8.	श्री	प्रभु दयाल प्रसाद, आशु० लि०	830/-	3,625/50
9.	श्री	राजेन्द्र प्रसाद, टंकक	890/-	3,655/50
10.	श्री	प्रदीप राय, जीप चालक	1,130/-	2,950/-
11.	श्री	राम स्नेही राय, अनुसेवी	1.050/-	2,771/-
12.	श्री	मौजे राम, अनुसेवी	787/-	2,266/-
13.	श्री	कृष्णनन्दन सिंह, अनुसेवी	787/-	2,266/-
14.	श्री	भुवनेश्वर राउत, अनुसेवी	494/-	2,271/-
15.	श्रीमती	विभा कुमारी, परामर्शी	3,500/-	8,280/-
16.	श्री	विन्देश्वर महतो, सहा० शिक्षक	1,440/-	3,790/-
17.	श्रीमती	मंजूरानी वर्मा ,, ,,	1,440/-	3,790/-
18.	श्री	हरेन्द्र कुमार सिंह, आशु० लि०	830/-	3,625/-
19.	श्री	भोला मंडल, चालक	1,130/-	2,950/-
			27,813/-	76,341/- ×12 =9,16,092/-

बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी के अन्तर्गत समग्र वेतन पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व्यय विवरणी ।

क्रमांक	पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम ।	समग्र वेतन	कुल राशि
1.	श्री दिलमोहन राम, लेखा प्रभारी	4,500/-	5,800/-
2.	श्री नागेन्द्र कुमार पासवान, साधनसेवी	4,000/-	5,300/-
3.	श्रीमती अल्पना कुमारी, साधनसेवी	4,000/-	5,300/-
4.	सुश्री संगीता दत्ता, साधनसेवी	4,000/-	5,300/-
5.	सुश्री राजदा राबनम, सहायक साधनसेवी	3,000/-	4,300/-
6.	श्री आलोक राज, संचार सहायक	1,800/-	2,925/-
7.	श्री योगेन्द्र राय, जीप चालक	1,200/-	1,900/-
		22,500/-	30,825/- x 12 =3,69,900/-

रिक्त पदों के लिए वेतन विवरणी

क्रमांक	पदनाम	स्वी० पदों की संख्या	समग्र वेतन	अप्रैल 94 से मार्च 95
1	2	3	4	5
1.	प्रशासी पदाधिकारी	1	5,000/-	80,700/-
2.	कम्पोनेन्ट प्रभारी ग्रेड ए	5	5,000/-	4,03,500/-
3.	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	1	5,000/-	80,700/-
4.	ओ० एस० डी०	1	4,500/-	74,700/-
5.	रिसोर्स पर्सन्स	2	4,000/-	1,27,200/-
6.	सहायक अभियंता	1	4,000/-	63,600/-
7.	सहायक रिसोर्स पर्सनस	5	3,000/-	2,55,000/-
8.	सहायक प्रोग्रामर	1	3,000/-	51,000/-
9.	स्टेनोग्राफर	2	2,300/-	85,200/-
10.	लाईब्रेरियन	1	2,300/-	42,600/-
11.	परचेज सहायक	1	1,800/-	32,700/-
12.	टाईपिस्ट	1	1,800/-	32,700/-
13.	सहायक लाईब्रेरियन	1	1,800/-	32,700/-
14.	टेक्नीशीयन	1	1,800/-	32,700/-
15.	चालक	2	1,700/-	57,600/-
16.	अनुसेवी	2	1.500/-	48,000/-
			48,300/-	15,00,600/-
	यात्रा भत्ता 26 स्टाफ का			93,600/-
	दैनिक मजदूरी			20,000/-
		कुल योग-		29,00,192/-

...ENTATION ...
...ational Institute of Educational
Planning and Administration.
... Sri Aurobindo Marg,
... Delhi-110016
DOC, No D-9066
Date 12-03-96
NIEPA DC